रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2009/आषाढ़, 22, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91
No. 105] DELHI, MONDAY, JULY 13, 2009/ASADHA 22, 1931 [N.C.T.D. No. 91

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि व भवन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2009

सं. फा. 8(10)/08/भू.व भ./भू.अ./4348.—जबकि, दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा अप्सरा बोर्डर के समीप जी.टी. रोड को चौड़ा करने हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना है ।

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या फा. 8(10)/08/भू. व भ./भू.अ./3498 दिनांक 29-06-2009 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पूर्व) को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (उत्तर-पूर्व) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्ट विवरण

गाँव का नाम	कुल क्षेत्र (वर्ग मी.)	बाउंड्री के फील्ड नम्बर/खसरा नं.	क्षेत्र (वर्ग मी.)
झिलमिल ताहिरपुर	1012.50	1183/220/1 मिन	96
		1183/220/3 मिन	180
		1183/220/2 मिन	41
		1183/220/4 मिन	180
		1182/220 मिन	232
		1096/283-289/ 226-299 मिन	60
		1096/283-289/ 226-299 मिन	22.50 (सराय)
		1097/283-289/ 226-299 मिन	105
		1098/226-289मिन	85
		1099/226-289मिन	11
		कुल योग	1012.50

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th July, 2009

No. F. 8(10)/08/L&B/LA/4348.—Whereas the Lt. Governor, Delhi is satified that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose namely for 'widening of road at G.T. Road near Apsara Border'. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land notified u/s 4 of L.A. Act, 1894 *vide* Notification No. F.8(10)/08/L&B/LA/3498 dated 29-6-2009 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-East), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-East), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Sq.m.)	Field Nos. of Boundaries Kh. Nos.	Boundaries Area (Sq.m.)
Jhilmil Tahirpur	1012.50	1183/220/1 min	96
		1183/220/3 min	180
		1183/220/2 min	41
		1183/220/4 min	180
		1182/220 min	232
		1096/283-289/ 226-299 min	60
		1096/283-289/ 226-299 min	22.50 (Sarai)
		1097/283-289/ 226-299 min	105
		1098/226-289 min	85
		1099/226-289 min	11
		Tatal	**1012.50**

सं. फा. 8(10)/08/भू. व भ./भू.अ./4349.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पूर्व), दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या फा. 8(10)/08/भू.व. भ./भू.अ./3498 दिनांक 29-6-2009 धारा 4 एवं संख्या फा. 8(10)/08/भू.व.भ./भू.अ./4348 दिनांक 13-7-2009 धारा 6 में दिया हुआ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

No. F. 8(10)/08/L&B/LA/4349.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North-East), Delhi to take possession of land, the specification of which is given in the Notification No. F. 8(10)/08/L&B/LA/3498 dated 29-6-2009 under Section 4 and No. F. 8(10)/08/L&B/LA/4348 dated 13-7-2009 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the N.C.T. of Delhi,
G. S. MEENA, Addl. Secy.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 जुलाई, 2009

सं. फा.19/125/परि./सचिवा./2007/375.—जबकि दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 2008 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 द्वारा यथापेक्षित दिनांक 3 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 19/125/परि./सचिवा/2007/597 के अनुसार दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तिथि से 45 दिन की अवधि के भीतर इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 3 सितम्बर, 2008 को जनता को उपलब्ध कराई गईं और जबकि उक्त प्रारूप नियमावली सम्बंधी प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर सरकार द्वारा विधिवत् विचार किया गया है।

अतः, दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) तथा धारा 212 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 176 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार की दिनांक 21 जून, 1993 की अधिसूचना सं. फा. 2(1)/93 विधि के अनुसार बनायी गयी, दावा न्यायाधिकरण संबंधी, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के अध्याय IX के आंशिक अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियमावली

1. **संक्षिप्त प्रारूप एवं प्रारंभ :** (1) इस नियम को दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषाएं.**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में :—

(क) "अधिनियम" का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(ख) "दुर्घटना" का अर्थ किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन प्रयोग से संबंधित किसी दुर्घटना से है,

(ग) "दावा न्यायाधिकरण" अधिनियम का धारा 165 के अंतर्गत गठित किसी मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण से है,

(घ) "फार्म" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी फार्म से है,

(ङ) "बीमा कम्पनी" का अर्थ, वह बीमा कम्पनी जिसके साथ कोई दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन का सम्बद्ध अवधि के लिए बीमाकृत की गई थी,

(च) "जांच करने वाला पुलिस अधिकारी" का अर्थ है, जिस थानाध्यक्ष के क्षेत्र के भीतर किसी मोटर वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना होती है, उस थाने का थानाध्यक्ष और उसके अधीनस्थ कोई पुलिस अधिकारी शामिल है, जिसे मामले की जाँच करने का कार्य सौंपा गया है,

(छ) "कानूनी प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो उसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खण्ड (11) के अंतर्गत दिया गया है ;

(2) इसमें प्रयुक्त सभी अन्य शब्द तथा वाक्यांशों; लेकिन जो परिभाषित नहीं है और दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमश : उस अधिनियम में उन्हें प्रदान किया गया है ।

3. मोटर दुर्घटना मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के दायित्व.—(1) प्रचलित किन्ही अन्य नियमों के प्रतिकूल कुछ भी रहते हुए, जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का दायित्व होगा कि वह यथासंभव यथाशीघ्रतापूर्वक—

(क) ऐसे कोनों से दुर्घटना स्थल का चित्र लिया जाए, जिससे साफ-साफ चित्रित हो, और ऐसा करने के लिए असमर्थता की स्थिति में, मानकों/मापदण्ड के आधार पर स्थलमान का चित्र तैयार किया जाए ताकि खाके तथा सड़क (सड़कों) या स्थान/स्थानों की चौड़ाई आदि, जैसी भी स्थिति हो, साफ-साफ दिखाई देती हो, सम्बद्ध वाहन/वाहनों, या व्यक्ति (व्यक्तियों) की स्थिति और ऐसे अन्य तथ्य जो प्रासंगिक हो सकते हैं, ताकि इस संबंध में प्रमाण की संभाल हो सके साथ-साथ दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवृत्तों को प्रस्तुत करने के प्रयोजनों के लिए हो;

(ख) दुर्घटना से सम्बद्ध मोटर वाहन के बारे में बीमा प्रमाण-पत्र/पालिसी के पूरा विवरण एकत्रित करना और अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (1) में वर्णित दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण अपेक्षित करना, और इस पर या रसीद देकर उसका कब्जा लेना या इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा इसके प्रमाण के उपरांत उसकी फोटोप्रतियों की संभाल करना;

(ग) उनके जारी कर्त्ता कार्यालय/प्राधिकरण से लिखित में समर्थन/सहमति प्राप्त करके खण्ड (ख) में वर्णित दस्तावेजों की सत्यता की जांच करना;

(घ) उन अपेक्षित दस्तावेजों सहित फार्म ख में नोटिस की प्राप्ति के तीस दिन तक फार्म "क" में दावा न्यायाधिकरण को किसी दुर्घटना संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिवेदन की प्रति में चिकित्सा-विधिक प्रमाण पत्र, शव-परीक्षा प्रतिवेदन (मृत्यु की स्थिति में), प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फोटोग्राफ, खाका, खण्ड (ग) में वर्णित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां, इनकी सत्यता की पुष्टि संबंधी प्रतिवेदन यदि प्राप्त किया गया हो या अन्यथा की गई कार्यवाई हो;

(ङ) क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन-पत्र देने वाले इच्छुक व्यक्ति से, जो किसी प्रकार की दुर्घटना से जुड़ा हुआ है या उसका नजदीकी रिश्तेदार या कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि या बीमा कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, फार्म 'ग' में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर तीस दिन के भीतर फार्म 'क' में आवेदक को दुर्घटना सम्बन्धी जानकारी एवं विवरण प्रस्तुत करेगा :

शर्त यह है कि ऐसी जानकारी बीमा कम्पनी को दस रुपए प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान करने पर दी जाए;

(च) तब दुर्घटनाग्रस्त वाहन को छोड़ें तथा जब्त न करें, जब यह पता चले कि यह तीसरे पक्षकार जोखिम के लिए बीमा की पॉलिसी से कवर नहीं होती है, पंजीकृत मालिक के नाम पर प्राप्त करे, या जब पंजीकृत मालिक ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है और जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट की जानकारी में लाया जाय;

(छ) खण्ड (च) में उल्लिखित मजिस्ट्रेट को सूचित करे, अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए पंजीकृत स्वामी पर अभियोग क्यों नहीं चलाया गया है, जहां ऐसे किसी अपराध से संबंधित तथ्य होते हुए भी ऐसा अभियोग प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(2) उप-नियम (1) उल्लिखित दायित्व माने जाएंगे मानो ये दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) का धारा 60 में उल्लिखित है और इनका कोई उल्लंघन होने से उस कानून में बताए गए परिणाम होंगे ।

4. पंजीकरण प्राधिकरण के दायित्व : संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी का यह दायित्व होगा—

(क) फार्म "ड़" में निदेश प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर किसी दुर्घटनाग्रस्त किसी मोटर वाहन या इसके चालक का लाइसेंस संबंधी दावा न्यायाधिकरण को फार्म 'घ' में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;

(ख) फार्म ''च'' में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, क्षतिपूर्ति के लिए कोई आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति से या प्रयोग करने के परिणामस्वरूप दुर्घटना से जुड़े व्यक्ति या उसका नजदीकी रिश्तेदार, या मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को या बीमा कम्पनी को, जैसी भी स्थिति हो, फार्म 'घ' में अपेक्षित जानकारी पद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करे :

शर्त यह है कि बीमा कम्पनी को सूचना दस रुपये प्रति पृष्ठ की दर से भूगदान करने पर दी जाय ।

5. बीमा कम्पनी के दायित्व.—बीमा कम्पनी के मण्डल प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि वह यथासंभव शीघ्रतापूर्वक—

(क) निर्धारित शुल्क सहित जांचकर्त्ता पुलिस अधिकारी के समक्ष फार्म 'ग' में निर्धारित शुल्क सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करे और इस दुर्घटना संबंधी पूरी जानकारी इकटठी करे इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के उपरांत, शीघ्रातीशीघ्र या नियम 13 के अंतर्गत दावा न्यायाधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर;

(ख) दुर्घनाग्रस्त मोटर वाहन (वाहनों) के बीमा संबंधी तथ्य पता लगाकर सत्यापित करेगा और दावे मामले का नोटिस प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर दावा न्यायाधिकरण को इसकी पुष्टि करेगा ;

(ग) फार्म 'च' में संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगी और फार्म 'घ' में उल्लिखित विवरण के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन/वाहनों संबंधी और इसके चालक/चलाकों द्वारा धारित ड्राइविंग लाइसेंस/लाइसेंसों संबंधी जानकारी इकटठी करेगी;

(घ) उसके द्वारा जारी बीमा प्रमाण-पत्र/पॉलिसी से कवर मोटर वाहन के प्रयोग के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु या स्थाई अपंगता की पुष्टि करने संबंधी जिन मामले में फार्म 'क' तथा फार्म 'घ' में प्राप्त होती है, उन मामलों में अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत कोई दोष नहीं के सिद्धांत पर अधिनिर्णय योग्य क्षतिपूर्ति के बराबर राशि दावा न्यायाधिकरण को लिखित विवरण सहित जमा करेगा ।

6. दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन को छोड़ने पर प्रतिबन्ध.—(1) कोई भी न्यायालय दुर्घटना ग्रस्त उस मोटर वाहन को नहीं छोड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या सम्पत्ति की क्षति हुई है, जब ऐसा वाहन पंजीकृत मालिक के नाम पर प्राप्त तीसरे पक्षकार के संकटों के लिए बीमा की पॉलिसी से कवर नहीं होता हो, या जब पंजीकृत मालिक, जांचकर्त्ता पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, पंजीकृत मालिक द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान करने के लिए न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप जब तक पंजीकृत मालिक ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न किसी दावे के मामले में अधिनिर्णित होने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप पर्याप्त प्रतिभूति नहीं प्रस्तुत करता है ।

(2) जब तृतीय पक्षकार के संकटों के लिए मोटर वाहन का मालिक बीमा की पॉलिसी से कवर नहीं होता है, या जब उप-नियम (1) में उल्लिखित परिस्थिति में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जांचकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन का कब्जा प्राप्त करने के तीन महीने बीतने पर दुर्घटना क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी में मोटर वाहन बेची जाएगी और इससे प्राप्त आय सम्बद्ध क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले दावा न्यायाधिकरण के पास क्षतिपूर्ति राशि को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए, पंद्रह दिन के भीतर जमा कराई जाएगी जोकि अधिनिर्णित की गई है या ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न किसी दावा मामले में अधिनिर्णित की जा सकेगी ।

7. प्रतिवेदन सम्बन्धी परिकल्पना.—जांचकर्ता पुलिस अधिकारी तथा सम्बद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा क्रमशः फार्म 'क' तथा फार्म 'घ' में दावा न्यायाधिकरण को प्रस्तुत प्रतिवेदन की विषयवस्तु तथा बीमा कम्पनी द्वारा नियम 5 के खण्ड (ख) के अंतर्गत पुष्टिकरण को सही मान लिया जाएगा तथा इसके प्रतिकूल सिद्ध होने तक औपचारिक प्रमाण के बिना साक्ष्य में पढ़ा जाएगा ।

8. आवेदन पत्र.—(1) क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र फार्म 'छ' में किया जाएगा और इसकी यथा अपेक्षित प्रतियां संलग्न होंगी, यह इस पर अधिनिर्णय करने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले दावा न्यायाधिकरण को किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र के साथ संलग्न होंगे :—

(क) इस आशय के लिए आवेदक का शपथ पत्र कि आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों का विवरण उसकी पूरी जानकारी/विश्वास के अनुसार सही है, जैसी भी स्थिति हो, तथा इसके अतिरिक्त यदि आवेदक/आवेदकों ने उसी कार्यहित संबंधी कोई दावा/याचिका पहले प्रस्तुत की है, यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या रहा था;

(ख) इसके प्रमाण हेतु सभी दस्तावेज और शपथ-पत्र और सभी उन तथ्यों के पक्ष में शपथ-पत्र, जिनके आधार पर आवेदक का दावा निर्भर करता है, प्रलेखों और शपथ-पत्रों की भली भांति तैयार की गई सूची में दर्ज किए गए :

शर्त यह है कि दावा न्यायाधिकरण तब तक आवेदन के साथ न प्रस्तुत किसी प्रलेख या शपथ-पत्र के आधार पर अपने दावे के पक्ष में निर्भर होने के लिए अनुमति नहीं दे सकेगा, जब तक वह उपयुक्त या पर्याप्त कारण के लिए संतुष्ट नहीं होता है कि उसे ऐसे दस्तावेज या शपथ-पत्र पहले प्रस्तुत करने के लिए रोका नहीं जाता है;

(ग) दावा न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए आवेदक/आवेदकों की पहचान का प्रमाण जब तक उसके द्वारा लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले, ठोस या प्रर्याप्त कारण के लिए ऐसा करने की छूट मिली हो,

(घ) एडवोकेट द्वारा विधिवत् प्रमाणित आवेदक/आवेदकों के पासपोर्ट आकार के फोटग्राफ अभिलेख पर;

(ङ) जाँचकर्त्ता पुलिस अधिकारी एवं पंजीकरण प्राधिकारी से फार्म 'ग' तथा फार्म 'घ' में यदि ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो इसके कारण प्राप्त किए जाएं ;

(च) चोटों का या इसके प्रभाव का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जो फार्म 'ग' में उल्लिखित से भिन्न हैं ।

(3) दावा न्यायाधिकरण स्वयं को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदक से अपेक्षा कर सकता है कि नकली या कोई जालसाजी वाला दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(क) उन सभी दुर्घटनाओं का पूरा विवरण, जिनमें आवेदक या मृतक व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, का सम्बद्ध है;

(ख) ऐसी पूर्ववर्ती दुर्घटनाओं में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति तथा जिस व्यक्ति ने क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया है, उसका नाम तथा विवरण; और

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ आवेदक के संबंध, यदि कुछ संबंध हो, तो उल्लेख करें ।

(4) जो आवदेन पत्र जांच करने पर त्रुटिपूर्ण पाया गया है वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो दो सप्ताह से अधिक नहीं है, त्रुटियां दूर करने के बाद पुनः प्रस्तुत किये जाने के लिए दावा न्यायाधिकरण द्वारा लौटाया जा सकेगा ।

(5) क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र नियम 36 के अनुसार निर्धारित उपयुक्त रजिस्टर में अलग से पंजीकृत किया जाएगा ।

9. अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (6) के अंतर्गत पुलिस प्रतिवेदन और इस पर कार्रवाई :—(1) पुलिस द्वारा अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (6) के शब्दों में प्रतिवेदन फार्म 'क' में यथावश्यक परिवर्तनों से निहित होगा ।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दावा न्यायाधिकरण उसकी पूरी-पूरी जांच करेगा और अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा (4) के अनुसार उपयुक्त तथा प्रभावी कार्यवाई के लिए यथा आवश्यक ऐसी आगामी जानकारी या विषयवस्तु की मांग कर सकेगा ।

(3) दावा न्यायाधिकरण प्रतिवेदन की जांच करने के उपरांत आगामी सूचना/सामग्री, यदि मांगी गई है, इस पर दावा मामला पंजीकृत करेगा और तत्पश्चात् सभी संबंधित पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा जिसमें फार्म 'ज' में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या उसके कानूनी प्रतिनिधि होगा/होगी/होंगे, जैसी भी स्थिति हो, वाहन का चालक, स्वामी तथा बीमाकर्ता शामिल होंगे ।

(4) नोटिस की प्राप्ति पर, पूर्वोक्त उपबन्ध में उल्लिखित पक्षकारों को शपथ-पत्र के माध्यम से उपस्थित होकर घोषणा करना अपेक्षित होगा, यदि कोई दावा मामला उसी कार्यहित के संबंध में या तो प्रस्तुत किया गया था या प्रस्तुत किया जा रहा था और यदि ऐसा है, तो दावा मामले के रूप में माना गया पुलिस प्रतिवेदन, पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत ऐसे दावे मामले के साथ लगा होगा ।

(5) यदि व्यक्ति चोटग्रस्त है या मृतक व्यक्ति/व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधि उक्त उल्लिखित तरीके में पूर्वोक्त नोटिस के उत्तर में उपस्थित नहीं होते हैं तो दावा न्यायाधिकरण यह मान सकता है कि उक्त पक्षकार ऐसी कार्यवाई में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दावा करने के लिए इच्छुक नहीं थे और इस परिकल्पना के आधार पर यह मामला समाप्त माना जाएगा ।

(6) पक्षकारों द्वारा स्वयं प्रस्तुत स्वतंत्र दावा मामले के साथ संलग्न दावा मामले के रूप में पुलिस प्रतिवेदन नहीं माना जाएगा जब तक दावा न्यायाधिकरण चोटग्रस्त व्यक्ति/व्यक्तियों या मृतक व्यक्ति/व्यक्तियों का/के कानूनी प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं बुलाएगा और जिसे क्षतिपूर्ति संबंधी तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के उत्तर में उपस्थित होना है, यदि उनके द्वारा कोई दावा किया गया है तो तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किए जाने के लिए फार्म 'ज' में आवेदन पत्र अपेक्षित तौर-तरीकों सहित होगा ।

(7) यदि दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि संबंधी तथ्यों का विवरण और इसके अधार पर उप-नियम (6) में उल्लिखित पद्धति से पक्षकारों द्वारा दावे प्रस्तुत किए गए हैं, तो दावा न्यायाधिकरण के समक्ष सीधे क्षतिपूर्ति के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र का निपटान करने के लिए यथा अपेक्षित पद्धति के अनुसार मामले पर आगामी कार्यवाही की जाएगी ।

(8) यदि उस पक्षकार द्वारा दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि संबंधी तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत, जो बाद में उपस्थित होने में चूक करता है तो नागरिक दण्ड प्रक्रिया 1908 (1908 का 5) के आदेश 9 के उपबन्ध लागू होंगे ।

शर्त यह है कि संबंधित दुर्घटना के मामले में एक से अधिक वाहन जुड़े हैं और ऐसे सभी वाहनों से संबंधित व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए दावा करते है, तो दावा मामले के रूप में माना गया पुलिस प्रतिवेदन उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत किसी दावा मामले के लिए परिकल्पित माना जाएगा और ऐसे पक्षकारों में से किसी एक या अधिक द्वारा अनुपस्थित होना प्रतिकूल प्रभाव वाला नहीं माना जाएगा या उस पक्षकार के दावे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो लगातार उपस्थित रहता है ।

10. आवेदन की जांच.—नियम 8 के अंतर्गत किसी आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर दावा न्यायाधिकरण शपथ-पत्र पर आवेदक की जांच कर सकता है और ऐसी जांच की विषयवस्तु, यदि कोई हो, तो लिखित में अभिलेखबद्ध होगी ।

11. आवेदन पत्र के निपटान का सारांश.—दावा न्यायाधिकरण आवेदन पत्र और विवरण पर विचार करने के बाद यदि नियम 10 के अंतर्गत अभिलेखबद्ध आवेदक का विवरण यदि कुछ है, तो आवेदन पत्र को संक्षेप में खारिज कर सकता है, यदि अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए इसका अभिमत है कि इससे संबंधित कार्यवाई के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है ।

12. दावा मामले का अन्तरण.—(1) जिला न्यायाधीश, जिस दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र लम्बित हो उसकी

फाइल से किसी अन्य दावा न्यायाधिकरण को आवेदन-पत्र हस्तांतरित करने का अधिकार होगा, यदि

(क) जिस दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन पत्र लम्बित है, व्यक्तिगत या अन्यथा के आधार पर ऐसा कोई अनुरोध करता है, अथवा

(ख) किसी पक्षकार द्वारा आवेदक को अपेक्षित आवेदन पत्र को लिखित में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर अन्तरित करने के लिए जिलाधीश संतुष्ट है, कि ऐसा करने के पर्याप्त आधार हैं,

(2) उच्च न्यायालय किसी एक दावा न्यायाधिकरण की फाइल से आवेदन को किन्हीं पर्याप्त कारणों के आधार पर अन्य दावा न्यायाधिकरण को हस्तांतरित कर सकता है ।

13. सम्बद्ध पक्षकार को नोटिस.—यदि दावे का आवेदन पत्र नियम 11 के अंतर्गत खारिज नहीं किया गया है तो दावा न्यायाधिकरण फार्म 'झ' में जिस तिथि को वह आवेदन की सुनवाई करेगा उस तिथि को एक नोटिस के साथ नियम 8 के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी प्रलेखों तथा शपथ पत्रों सहित आवेदन की एक प्रति विरोधी पक्षकारों को भेजेगा, और उस तिथि को आवेदन पत्र के उत्तर में नियम 14 के अनुसार एक लिखित विवरण प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बुला सकेगा :

शर्त यह है कि यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रलेख भारी भरकम है और इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध अनावश्यक रूप से खर्चीला और जटिल है, तो दावा न्यायाधिकरण विरोधी पक्षकार को इसकी प्रतियां भेजने की आवश्यकता के बिना काम चला सकता है ।

14. पक्षकारों की उपस्थिति और परीक्षा.—(1) जिस व्यक्ति के विरुद्ध आवेदक राहत का दावा करता है (इसके बाद विरोधी पक्षकार प्रतिपक्ष के रूप में संदर्भित है) प्रथम सुनवाई को या पहले या ऐसे आगामी समय के भीतर जैसा दावा न्यायाधिकरण अनुमति दे सकेगा, आवेदन पत्र में उठाए गए दावे के निबटान संबंधित एक लिखित बयान प्रस्तुत कर सकेगा और कोई ऐसा लिखित बयान अभिलेख का भाग बनेगा ।

(2) प्रतिपक्ष अपने लिखित विवरण/बयान सहित इसके प्रमाण के लिए सभी प्रलेखों और शपक्ष पत्रों को प्रस्तुत करेगा तथा उन सभी तथ्यों के पक्ष में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा जिन तथ्यों के आधार पर पह आवेदन पत्र को अपने बचाव के संदर्भ में निर्भर कर सकता है । प्रलेखों तथा शपथ-पत्रों को भली भांति तैयार सूची में विधिवत दर्ज करेगा और लिखित बयान, प्रलेखों और शपथ-पत्रों की प्रतियां आवेदक को देगा कि शर्त यह है कि दावा न्यायाधिकरण तब तक लिखित बयान के साथ न दायर किसी प्रलेख या शपथ पत्र पर अपने बचाव के पक्ष विरोधी पक्षकार को निर्भर रहने की अनुमति नहीं दे सकता है, जब तक वह संतुष्ट नहीं होता है कि उचित या पर्याप्त कारण है, उसे ऐसे प्रलेख या शपथ पत्र को पहले दायर करने के लिए रोका गया था ।

(3) यदि विरोधी पक्षकार दावे के लिये लड़ता है तो दावा न्यायाधिकरण और यदि कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया है, वह दावे संबंधी जांच के लिए कार्यवाई करेगा और जांच की विषयवस्तु लिखित में अभिलेखबद्ध करेगा ।

(4) दावा न्यायाधिकरण निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने के लिए विरोधी पक्षकारों से भी अपेक्षा कर सकेगा :—

(क) सभी उन पूर्ववर्ती दुर्घटनाओं का पूरा विवरण, जिसमें ऐसा पक्षकार जुड़ा हो सकता है और कम से कम जिसमें दावे का कम से कम भागों में अधिनिर्णय किया गया है ।

(ख) ऐसी पूर्ववर्ती दुर्घटनाओं में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि,दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति/व्यक्तियों का/के तथा जिन व्यक्तियों ने क्षति के भुगतान किया है उनके नाम एवं पता/पते ।

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों का विरोधी पक्षकार के साथ यदि कोई संबंध हो, तो उसका उल्लेख करें ।

15. स्थानीय निरीक्षण.—(1) दावा न्यायाधिकरण अपने समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान किसी भी समय दुर्घटना-स्थल का स्थानीय निरीक्षण करने के लिए या कार्यवाही से सम्बद्ध जानकारी देने के लिए संभावित सक्षम किन्हीं व्यक्तियों की जांच के लिए दौरा कर सकता है ।

(2) किसी कार्यवाही से सम्बद्ध कोई पक्षकार या उस पक्षकार का कोई प्रतिनिधि किसी स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा न्यायाधिकरण का साथ दे सकता है ।

(3) स्थानीय निरीक्षण कराने के बाद दावा न्यायाधिकरण पाए गए किन्हीं तथ्यों को किसी ज्ञापन में संक्षेप में उल्लेख करेगा, और ऐसा ज्ञापन कार्यवाही के अभिलेख का हिस्सा बनेंगे ।

(4) उप-नियम (3) में उल्लिखित ज्ञापन, कार्यवाही से सम्बद्ध किसी उस पक्षकार को दिखाया जा सकेगा जो इसे देखने की इच्छा रखता है और इसकी प्रति आवेदन पत्र देने पर ऐसे किसी पक्षकार को दी जा सकती है ।

(5) दावा न्यायाधिकरण, यदि कोई यात्रा इस नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी पक्षकार के अनुरोध पर की जाती है, तो उसके स्टाफ द्वारा प्रयोजन हेतु खर्च किए जा सकनं वाले संभावित वास्तविक व्यय के बराबर राशि पक्षकार द्वारा बहुत पहले जमा करानी अपेक्षित होगी और ऐसी यात्रा से संबंधित सभी प्रकार के प्रासंगिक कार्य की पूर्ति करने के लिए पक्षकारों द्वारा इस प्रकार जमा कराई गई राशि को निकाल सकता है ।

16. वाहन का निरीक्षण.—दावा न्यायाधिकरण, यदि वह उपयुक्त समझता है, तो मोटर वाहन के स्वामी के साथ परामर्श करके उसके द्वारा उल्लिखित किए जाने वाले किसी विशेष समय और स्थान पर मालिक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी ।

17. संक्षिप्त परीक्षा (जांच) की शक्ति.—दावा न्यायाधिकरण स्थानीय निरीक्षण के दौरान अपने समक्ष लम्बित किसी मामले की औपचारिक सुनवाई में किसी अन्य समय ऐसे मामले से संबंधित जानकारी देने के लिए संभावित समर्थ किसी व्यक्ति की वह संक्षेप रूप में जांच कर सकता है, चाहे ऐसे व्यक्ति को मामले में एक गवाह के रूप में बुलाया गया है या बुलाया जाना है या नहीं तथा चाहे कुछ या सारे पक्षकार उपस्थित हैं या नहीं ।

18. सीधी चिकित्सीय जांच की शक्ति.—दावा न्यायाधिकरण, यदि वह आवश्यक समझता हो, तो वह किसी सरकारी या नगरपालिका के अस्पताल के किसी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड को फार्म (ञ) में चोटग्रस्त व्यक्ति की जांच के दर्शाने और अपंगता की मात्रा और विस्तार वाला प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दे सकता है, यदि कोई दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रभावित हुआ है और यह निर्देश के प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ऐसे चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड का दायित्व होगा ।

19. जांच के दौरान व्यक्तियों को एक साथ अपनाना.—(1) दावा न्यायाधिकरण यदि वह उपयुक्त समझता हो, तो जांच में सहायता करने के लिए जांच से सम्बद्ध किसी मामले के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को एक साथ ले सकता है ।

(2) एक साथ लिये गए व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक, यदि कोई हो, प्रत्येक मामले के दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए ।

20. दोषहीन दायित्व के सिद्धांत सम्बन्धी आवेदन पत्र.—(1) अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत दावे के मामले में प्रत्येक आवेदन पत्र फार्म 'छ' के भाग-2 में किया जाएगा ।

(2) दावा न्यायाधिकरण इस नियम में उल्लिखित आवेदन पत्र के अधिनिर्णय के प्रयोजनार्थ यथोचित ऐसी सारांश प्रक्रिया अपनाएगा ।

(3) दावा न्यायाधिकरण किसी तकनीकी त्रुटि के आधार पर अधिनियम के अध्याय 10 के उपबन्धों के अनुसार किसी आवेदन पत्र को रद्द नहीं करेगा लेकिन आवेदक को नोटिस देगा और त्रुटि को ठीक कराएगा ।

(4) जहां आवेदन पत्र के साथ फार्म 'क' और फार्म 'घ' में प्रतिवेदन संलग्न नहीं है वहां दावा न्यायाधिकरण पुलिस, चिकित्सा और अन्य प्राधिकारियों से यथावश्यक जानकारी प्राप्त करेगा और दावे पर अधिनिर्णय हेतु कार्यवाई करेगा, चाहे पक्षकार को नियत तिथि को उपस्थित होने के नोटिस दिये गये थे या नहीं ।

(5) दावा न्यायाधिकरण फार्म 'क' और फार्म 'घ' में प्रतिवेदनों

22. मामलों का निर्धारण.—(1) मामलों के निर्माण के उपरांत दावा न्यायाधिकरण दोनों पक्षकार एक दूसरे और अभिसाक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति देने के बाद उन्हें निर्णय करने के लिए कार्यवाही करेगा । जिनके शपथ पत्र पक्षकारों द्वारा दायर किए गए हैं, आवेदन पत्र के साथ दायर ऐसे शपथ पत्र और लिखित ब्यान और ऐसा करने में वह नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 19 के उपबन्धों का पालन करेगा ।

(2) दावा न्यायाधिकरण यदि ऐसे मामले के उचित निर्णय के लिए यदि आवश्यक प्रतीत होता हो, तो वह ऐसे आगामी कुछ साक्ष्य का उल्लेख करने के लिए पक्षकारों को अनुमति दे सकता है, जो उनमें प्रत्येक प्रस्तुत करना चाहता है :

शर्त यह है कि ऐसी कोई आगामी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक यह न दर्शाया जाए कि ऐसी अवस्था पर जांच किये जाने के लिए मांगे गए साक्ष्य का शपथ पत्र पहले प्राप्त तथा दिया नहीं जा सका हो, इस पर निर्भर रहने वाले पक्षकार द्वारा यथोचित कर्मठता दर्शाने के बावजूद या कि ऐसा साक्ष्य पक्षकार की जानकारी में नहीं था ।

23. गवाहों को बुलाना.—नियम 22 के उपबन्धों के अनुसार आवेदन पत्र गवाहों को बुलाने के लिए कार्यवाही हेतु किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो दावा न्यायाधिकरण, इससे संबंधित व्यय, यदि कुछ हो, के भुगतान करने पर ऐसे गवाह की उपस्थिति के लिए तब तक सम्मन जारी नहीं करेगा, जब तक यह नहीं मानता है कि मामले के किसी उचित निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है :

शर्त यह है कि यदि दावा न्यायाधिकरण के अभिमत से पखकार आर्थिक रूप से गरीब है, वह सम्बद्ध व्यय के भुगतान संबंधी जोर नहीं दे सकता है और उसका व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

आगे शर्त यह कि जिस मामले में पक्षकार, सरकार द्वारा इस प्रकार खर्च किए गए व्यय को पूर्णतया भाग में पाने में सफल रहता है, उस मामले में विरोधी पक्षकार/प्रतिपक्ष द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने के लिए निदेश देगा ।

24. साक्ष्य अभिलेखन की पद्धति.—दावा न्यायाधिकरण, गवाहों की जांच पर प्रत्येक गवाह के साक्ष्य की विषयवस्तु का

पंचनिर्णय करेगा जिसमें विरोधी पक्षकार (प्रतिपक्ष) या पक्षकारों द्वारा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का उल्लेख होगा तथा जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान किया जाएगा, उसका/उनका भी उल्लेख होगा ।

(2) क्षतिपूर्ति के दायित्व के अधिनिर्णय एवं क्षतिपूर्ति के पंचनिर्णय की प्रक्रिया मृत्यु की स्थिति में कानूनी वारिसों को भुगतान करने की प्रक्रिया से भिन्न हो सकती है और जहां दावा न्यायाधिकरण यह महसूस करता है कि मृतक के कानूनी वारिसों की पहचान और निर्धारण की प्रक्रिया में दावेदार को वास्तविक भुगतान में कुछ विलम्ब होने की संभावना है, तो दावा न्यायाधिकरण क्षतिपूर्ति की राशि अपने पास जमा कराने के लिए मांग कर सकता है और तत्पश्चात् प्रत्येक कानूनी वारिस को बराबर बराबर क्षतिपूर्ति की राशि वितरित करने के लिए कानूनी वारिसों की पहचान का कार्य कर सकता है ।

27. दावेदारों के हितों की रक्षा.—(1) जहां दावा न्यायाधिकरण के पास जमा एकमुश्त राशि कानूनी निर्योग्यता के अंतर्गत किसी महिला या किसी व्यक्ति को देय है, वहां ऐसी राशि ऐसे तरीके से इस निर्योग्यता के दौरान ऐसी महिला या व्यक्ति के लाभार्थ निवेश या प्रयोग की जाए या अन्यथा तरीके से निपटान की जा सकेगी, जैसा दावा न्यायाधिकरण चोटग्रस्त व्यक्ति के किसी आश्रित या मृतक के वारिसों या किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किये जाने के लिए निदेश दे सकता है जिसे दावा न्यायाधिकरण चोटग्रस्त व्यक्ति या मृतक के वारिस के कल्याण के लिए उपलब्ध कराने हेतु सबसे अधिक उपयुक्त समझते हों ।

(2) जहां दावा न्यायाधिकरण को दिये गए आवेदन पत्र पर इस संबंध में या अन्यथा प्रकार से दावा न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि माता-पिता के सम्बंध में बच्चों की अवहेलना के आधार पर या किसी आश्रित की परिस्थितियों के अंतर के आधार पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई किसी राशि के वितरण संबंधी दावा न्यायाधिकरण का कोई आदेश या किसी ऐसे आश्रित को देय कुछ राशि कौनसे तरीके से निवेश/प्रयुक्त की जाए या अन्यथा निपटाई जाए, में अंतर होना अनिवार्य है, दावा न्यायाधिकरण पूर्व आदेश के अंतर के लिए ऐसा आगामी आदेश कर सकता है, जैसा वह मामले की परिस्थिति के अनुसार उचित समझता है ।

(3) अवयस्क के मामले में, दावा न्यायाधिकरण ऐसे अवयस्क के व्यस्क होने तक ऐसे अवयस्क के लिए निर्णिय क्षतिपूर्ति की राशि सावधि जमा में निवेश की जाए । अभिभावक या आसत्र/नजदीकी मित्र द्वारा खर्च किया गया व्यय, इसे जमा कराने से पूर्व सावधि जमा राशि में से ऐसे अभिभावक या निकटवर्ती मित्र द्वारा निकलवाई जाने के लिए अनुमति हो सकती है ।

(4) दावा न्यायाधिकरण, निरक्षर/अनपढ़ दावेदारों की स्थिति में, आदेश करेगा कि निर्णित क्षतिपूर्ति की राशि कम से कम 3 वर्ष के लिए सावधि जमा में निवेश की जाए लेकिन यदि दावेदार की आय में सुधार हेतु किसी चल या अचल सम्पत्ति की खरीद करने के लिए कोई राशि अपेक्षित है, तो दावा न्यायाधिकरण संतुष्ट होने पर ऐसे किसी अनुरोध पर विचार कर सकता है कि वास्तव में राशि उस प्रयोजन के लिए खर्च की जा सकती है और धनराशि निकालने के

(5) कम पढ़े लिखे व्यक्ति की स्थिति में, दावा न्यायाधिकरण जब तक संतुष्ट नहीं होता है तब तक उप-नियम 4 में उल्लिखित निर्णित राशि को लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर जमा कराने की प्रक्रिया की सहायता नहीं लेगा कि किसी वर्तमान व्यवसाय के विस्तार हेतु या उप-नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट तथा वर्णित कुछ संपति खरीदने के लिए पूरी या अंशतः राशि अपेक्षित है, जिस मामले में दावा न्यायाधिकरण सुनिश्चित करेगा कि राशि उस प्रयोजन के लिए निवेश की गई हैं, जिसके लिए यह मांगी गई है और भुगतान की गई है ।

(6) दावा न्यायाधिकरण साक्षर व्यक्तियों की स्थिति में, उप-नियम 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णित राशि को जमा करने के लिए प्रक्रिया की सहायता भी ले सकता हैं और आयु, वित्तिय पृष्ठभूमि और उस समाज की सिथति, जिससे दावेदार संबंधित हैं और ऐसे अन्य प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए दावा न्यायाधिकरण दावेदार के व्यापक हित में और अधिनिर्णित क्षतिपर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक आदेश कर सकता है ।

(7) दावा न्यायाधिकरण व्यक्तिगत चोंटों के मामले में यदि आगामी उपचार आवश्यक है, संतुष्ट होने पर जो लिखित में अभिलेखबद्ध किया जाएगा, ऐसे उपचार के खर्चे के लिए यथावश्यक राशि निकालने की अनुमति दे सकता है ।

(8) दावा न्यायाधिकरण, धनराशि के निवेश के मामले में, आवेदक को आवधिक आय के साधनों से अधिकतम आय उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए ब्याज की अधिक दर लेने वाले राज्य या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में इसे जमा कराएं ।

(9) दावा न्यायाधिकरण धनराशि निवेश में निदेश देगा कि जमाराशि का ब्याज सीधा ही दावेदारों को या अवयस्क दावेदारों के अभिभावकों को भुगतान, दावा न्यायाधिकरण को सूचित करते हुए धनराशि को जमा रखने वाली संस्थाओं द्वारा किया जाएगा ।

28. कानूनी व्यवसायी की उपस्थिति.—दावा न्यायाधिकरण अपने विवेक से किसी पक्षकार को किसी कानूनी व्यवसायी के माध्यम से अपने समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है ।

29. सुनवाई का स्थगन.—यदि दावा न्यायाधिकरण पाता है कि किसी आवेदन पत्र का एक सुनवाई में निपटान नहीं हो सकता है, तो वह उन कारणों को अभिलेखबद्ध करेगा, जो स्थगन को अनिवार्य बनाता है और स्थगन की सुनवाई की तिथि को उपस्थित पक्षकारों को भी सूचित करेगा ।

30. डायरी.—दावा न्यायाधिकरण आवेदन पत्र पर कार्यवाही की संक्षिप्त डायरी भी बनाएगा ।

31. दावा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का प्रवर्तन.—अधिनियम की धारा 174 के उपबन्धों के अनुसार दावा न्यायाधिकरण अपने अधिनिर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत किसी डिक्री के निष्पादन संबंधी किसी दीवानी अदालत की सभी शक्तियां होंगी, मानों अधिनिर्णय, जहां किसी दीवानी वाद में ऐसे न्यायालय द्वारा धनराशि के भुगतान के

32. दावा न्यायाधिकरण को दीवानी अदालत की शक्तियां निहित करना.—अधिनियम की धारा 169 के उपबन्धों को पक्षपात के बिना प्रत्येक दावा न्यायाधिकरण किसी दीवानी अदालत की सारी शक्तियों को प्रयोग कर सकता है और अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए ऐसा करने में नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

33. भुगतान संबंधी भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की रसीद.—दावा न्यायाधिकरण डुप्लीकेट में दावेदार से रसीद प्राप्त करेगा । एक प्रति उस व्यक्ति को जारी की जाए जो भुगतान करता है और दूसरी प्रति भुगतान करते हुए अभिलेख में रखी जाए ।

34. दावा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील.—(1) दावा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील आवेदक या इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत सशक्त एडवोकेट द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन के रूप में दायर की जाएगी और उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ अधिनिर्णय की एक प्रति नत्थी होगी ।

(2) ज्ञापन संक्षेप में उल्लिखित होगा और विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत, किसी तर्क या वर्णन सहित अपील में किए गए अधिनिर्णय संबंधी आपत्तियों के आधार और ऐसे आधार लगातार वर्णित होंगे ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय नागरिक पक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची में आदेश XLI, XXI के उपबन्ध अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपील यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रस्तुत की जाएगी ।

35. प्रमाणित प्रतियां.—उच्च न्यायालय की निचली अदालतों के लिए दिल्ली में यथाप्रवृत प्रमाणित प्रति जारी करने संबंधी नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित दावा न्यायाधिकरण की स्थिति में लागू होंगे ।

36. रजिस्टर.—(1) दावा न्यायाधिकरण दिल्ली में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा बनाए जाने के लिए अपेक्षित सभी रजिस्टरों के अलावा निम्नलिखित बनाएगा :—

(i) दोषहीन दायित्व के सिद्धांत पर अंतरिम अभिनिर्णय के लिए आवेदकों का रजिस्टर,

(ii) चैक आदि के माध्यम से न्यायाधिकरण में भुगतान जमा कराने के लिए रजिस्टर ।

(2) मृत्यु, स्थाई अपंगता, चोटग्रस्तता तथा संपत्ति को क्षति के आधार पर दावा याचिका अलग रजिस्टर में दर्ज की जाएगी ।

37. अभिलेख की अभिरक्षा एवं परिरक्षण.—इन मामलों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख पंचनिर्णय यदि कोई किया गया हो कि संतुष्टि के लिए 6 वर्ष की अवधि के लिए या अधिनिर्णय के बाद 12 वर्ष की अवधि के लिए और अंतिम अधि निर्णय/फैसले के होने तक, जो भी पहले हो, रखा जाएगा ।

38. स्टाफ.—(1) प्रत्येक दावा न्यायाधिकरण को दिल्ली के अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय को [illegible]

562 DG/09-2

39. निरसन एवं बचाव.—(1) दिल्ली मोटर वाहन नियमावली 1993 के अध्याय 9 इसके द्वारा रद्द किया जाता है ।

(2) इसे निरसन में कुछ भी होते हुए इस प्रकार निरसित किए गए उक्त नियमावली के किसी नियम के अंतर्गत किये गये कुछ या की गई कार्रवाई, जब तक दावा न्यायाधिकरण के समक्ष लिखित क्षतिपूर्ति के कार्यवृत्त में इन नियमों के किसी उपबन्ध के प्रतिकूल कोई बात या कार्रवाई नहीं है, तब तक इन नियमों से संबद्ध उपबंधों के अंतर्गत की गई बात या कार्रवाई की गई नहीं मानी जाए ।

फार्म 'क'

(नियम 3, 5 और 7 को देखिए)

जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी का प्रतिवेदन

सेवा में

....

....

....

महोदय/महोदया,

यह मामला संख्या.................... शीर्षक......... दिनांक.......... के आदेश/आवेदन पत्र के संदर्भ में है । अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

(1) थाने का नाम

(2) फौजदारी संख्या/यातायात दुर्घटना प्रतिवेदन/प्रतिवेदन प्राथमिकी संख्या

(3) दुर्घटना का दिन समय एवं स्थान

(4) चोटग्रस्त व्यक्ति/मृतक का नाम एवं पूरा पता

(5) जिस अस्पताल से छुट्टी दी गई है उसका नाम (एक्सरे रिपोर्ट की/एम.एल.सी./शव परीक्षा रिपोर्ट की प्रति संलग्न कीजिए)

(6) वाहन की पंजीकरण संख्या और वाहन की किस्म (प्रति संलग्न की जाए)

(7) ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण (प्रति संलग्न की जाए)

(क) ड्राईविंग लाईसेंस संख्या और समाप्ति की तिथि

(ख) चालक का नाम और पता

(ग) जारीकर्ता प्राधिकरण का पता

(घ) बैज संख्या (सार्वजनिक वाहन की स्थिति में)

(8) दुर्घटना के समय वाहन के मालिक का नाम व पता

(9) बीमा कम्पनी का नाम और पता जिसके पास वाहन बीमाकृत था और उक्त बीमा कम्पनी के मण्डल

(10) बीमा पॉलिसी/बीमा प्रमाण-पत्र की वैधता की संख्या तथा बीमा पॉलिसी/बीमा प्रमाण-पत्र की तिथि

(11) वाहन का पंजीकरण विवरण (वाहन की श्रेणी)

(क) रजिस्ट्रेशन संख्या

(ख) इंजिन संख्या

(ग) चैसिस संख्या

(12) रूट परमिट विवरण (प्रति संलग्न की जाए)

(13) ड्राईविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी पंजीकरण प्रमाण-पत्र परमिट आदि के सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन (प्रलेखों की प्रति संलग्न कीजिए)

(14) की गई कार्यवाही, यदि कोई हो तथा इसका परिणाम (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिवेदन की प्रति/प्रस्तुत कालान्दरा संलग्न कीजिए)

संलग्नक (विवरण दीजिए) **(थानाध्यक्ष)**

थाना.....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन की विषयवस्तु थाने द्वारा की गई जांच के अनुसार सही है।

तिथि..... थाना.....

(थानाध्यक्ष)

फार्म 'ख'

(नियम 3 देखिए)

जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी का आदेश

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण : दिल्ली के समक्ष

(.....द्वारा अध्यक्षता की गई)

मामला संख्या :

शीर्षक.....बनाम.....

विषय : एफ.आई.आर. संख्या.....

सेवा में

थानाध्यक्ष
थाना.....
.....

आदेश

जबकि क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग करने संबंधी उक्त उल्लिखित दावा याचिका इस न्यायाधिकरण में दुर्घटना के बारे में दायर की गई है जिसकी विषयवस्तु की जांच एफ.आई.आर. विवरण द्वारा आपके द्वारा की जानी बताई गई है ।

और जबकि विधि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबन्धों के अंतर्गत सम्बद्ध पक्षकारों को और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 नियम 150 तथा दिल्ली मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा 6 के उपबन्धों के अंतर्गत इस न्यायाधिकरण को निम्नलिखित स्वरूप के प्रलेख उपलब्ध कराने के लिए आपको आदेश करता है :-

(1) वाहन के पहचान चिह्न और विवरण जिसकी दुर्घटना हुई

(2) दुर्घटना के समय चला रहे/प्रयोग कर रहे व्यक्ति का नाम व पता

(3) चोटग्रस्त व्यक्ति का नाम व पता, या क्षतिग्रस्त संपति का वर्णन/हुलिया

(4) एफ.आई.आर. की प्रति

(5) इसके साथ संलग्न प्रलेख अर्थात् प्रतिवेदन/शव परीक्षा प्रतिवेदन/यांत्रिक निरीक्षण प्रतिवेदन, लिया गया फोटोग्राफ, तैयार स्थल योजना, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा पॉलिसी सत्यापन, यदि कोई हो आदि सहित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिवेदन

(6) जब्त कोई अन्य दस्तावेज

अत: अब आपको इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि इस न्यायाधिकरण को फार्म क में इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने व्यक्तिगत हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित और अपनी कार्यालय मोहर वाले पूर्वोक्त सभी प्रलेख की सभी पठनीय फोटोप्रतियां भेजने का निदेश दिया जाता है ।

मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अंतर्गत.....के दिन.....दिया गया ।

न्यायाधीश

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली

फार्म 'ग'

(नियम 3 एवं 5 देखिए)

जाँचकर्ता पुलिस अधिकारी को आवेदन-पत्र

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण : दिल्ली के समक्ष

(.....द्वारा अध्यक्षता की गई)

मामला संख्या :

शीर्षक.....बनाम.....

विषय : एफ. आई. आर. संख्या.....

सेवा में

थानाध्यक्ष
थाना.....
.....

महोदय,

जबकि आवेदन एक पक्षकार है, उस दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग करने वाली उक्त वर्णित दावा याचिका

में दावेदार/बीमा कंपनी होने के नाते, जिस एफ.आई.आर. से जांच जोकि उक्त नामक एफ.आई.आर. विवरण से जांच की विषय वस्तु बताई गई है ।

और जबकि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 150 तथा दिल्ली मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबन्धों के अंतर्गत संबंध पक्षकारों के निम्न स्वरूप के प्रलेख उपलब्ध कराने के लिए आपको कानून आदेश करता है :–

(1) वाहन के पहचान चिह्न और विवरण जिसकी दुर्घटना हुई

(2) दुर्घटना के समय चला रहे/प्रयोग कर रहे व्यक्ति का नाम व पता

(3) चोटग्रस्ता व्यक्ति का नाम व पता, या क्षतिग्रस्त संपति का वर्णन/हुलिया

(4) एफ.आई.आर. की प्रति

(5) इसके साथ संलग्न प्रलेख अर्थात प्रतिवेदन/शव परीक्षा प्रतिवेदन/यांत्रिक निरीक्षण प्रतिवेदन, लिया गया फोटोग्राफ, तैयार स्थल योजना, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा पॉलिसी सत्यापन, यदि कोई हो आदि सहित दण्ड प्रक्रिया सहिंता, 1973 की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिवेदन

(6) जब्त कोई अन्य दस्तावेज

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता अनुरोध करता है कि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाए ।

भवदीय

तिथि ( )

पूरा नाम व पता

फार्म 'घ'

(नियम 4, 5 एवं 7 देखिए)

पंजीकरण प्राधिकरण का प्रतिवेदन

महोदय,

यह दिनांक.....के मामले संख्या.....शीर्षक .....के आदेश/आवेदन पत्र के संदर्भ में है । अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

1. वाहन का पंजीकरण विवरण

(क) पंजीकरण संख्या

(ख) वाहन का प्रकार

(ग) मेक और मॉडल

(घ) इंजन संख्या

(ङ) चैसिस संख्या

(च) वाहन के पंजीकृत स्वामी का पूरा नाम व पता

(छ) बीमा का विवरण

2. ड्राइविंग लाइसेंस

(क) ड्राइविंग लाइसेंस संख्या और जारी/समाप्ति की तिथि

(ख) लाइसेंसधारी का नाम व पता

(ग) जारी करने वाले प्राधिकरण का विवरण

(घ) बैज संख्या (सार्वजनिक वाहन की स्थिति में)

(ङ) विस्तृत प्रतिवेदन यदि उल्लिखित विवरण सत्य नहीं कर पाए जाते हों

रूट परमिट

(क) परमिट संख्या व तिथि

(ख) परमिटधारी का नाम व पता

(ग) परमिट की शर्तें

(पंजीकरण अधिकारी)

.....क्षेत्र

सत्यापित किया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन की विषयवस्तु इस कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है ।

(पंजीकरण अधिकारी)

.....क्षेत्र

दिनांक.....

फार्म 'ङ'

(नियम 4 देखिए)

पंजीकरण प्राधिकरण को आदेश

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण : दिल्ली के समक्ष

(.....द्वारा अध्यक्षता की गई)

केस संख्या :

शीर्षक.....बनाम.....

विषय : वाहन संख्या.....के पंजीकरण प्रमाण पत्र का सत्यापन

(क) लाइसेंस प्राधिकरण.....द्वारा

जारी.....दिनांक.....तक वैध.....

के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस संख्या.....का सत्यापन

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

सेवा में

(पंजीकरण प्राधिकरण)

.....क्षेत्र

आदेश

जबकि क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग करने संबंधी उक्त उल्लिखित दावा याचिका तथाकथित दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन के संबंध में इस न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण उक्त शीर्षक में है ।

और जबकि (1) आपके नियंत्रण के अंतर्गत उल्लिखित वाहन आपके कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया गया है ।

(2) पूर्वोक्त ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट आपके नियंत्रणाधीन आपके कार्यालय द्वारा जारी किया गया बताया गया है (जो लागू न हो उसे काट दीजिए) ।

और जबकि उक्त रजिस्ट्रेशन/ड्राइविंग लाइसेंस परमिट से संबंधित अभिलेख केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अंतर्गत आपके नियंत्रणाधीन उक्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने के लिए अपेक्षित है ।

और जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबन्धों के अंतर्गत जांच के प्रयोजन के लिए इस न्यायाधिकरण द्वारा पूर्वोक्त दस्तावेजों संबंधी अपेक्षित विवरण अपेक्षित है और दिल्ली मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 के नियम 5 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 149 के अनुसार जिसकी जानकारी के प्रस्तुत करने के लिए आप बाध्य हैं ।

अत: अब आपको इसके द्वारा पूर्वोक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट संबंधी पूरा विवरण इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने निजी हस्ताक्षरों से विधिवत प्रमाणित तथा कार्यालय मोहर सहित प्रलेखों की प्रतियां प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है ।

यह.....2008 के माह..... के मेरे हस्ताक्षर और मोहर के अंतर्गत दिया गया ।

न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली

फार्म 'च'

(नियम व देखिए)

केस संख्या

शीर्षक.....बनाम.....

सेवा मे

पंजीकरण प्राधिकरण

विषय : 1. वाहन संख्या.....

2. परमिट संख्या.....

3. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या के संबंध में ।

जबकि अधोहस्ताक्षरी तथाकथित दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन के संबंध में क्षतिपूर्ति के भुगतान की मांग करने संबंधी उक्त उल्लिखित दावा याचिका एक पक्षकार है, ने दावा प्रस्तुत किया है जिसका विवरण उक्त शीर्षक में है;

और जबकि (1) आपके नियंत्रण के अंतर्गत उल्लिखित वाहन आपके कार्यालय द्वारा पंजीकृत किया गया है ।

(2) पूर्वोक्त ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट आपके नियंत्रणाधीन आपके कार्यालय द्वारा जारी किया गया बताया गया है (जो लागू न हो उसे काट दीजिए) ।

और जबकि उक्त रजिस्ट्रेशन/ड्राइविंग लाइसेंस परमिट से संबंधित अभिलेख केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, के अंतर्गत आपके नियंत्रणाधीन उक्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने के लिए अपेक्षित है ।

और जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबन्धों के अंतर्गत जांच के प्रयोजन के लिए इस न्यायाधिकरण द्वारा पूर्वोक्त दस्तावेजों संबंधी अपेक्षित है और दिल्ली मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण नियमावली, 2008 के नियम 5 के साथ पठित केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 149 के अनुसार जिसकी जानकारी के प्रस्तुत करने के लिए आप बाध्य हैं ।

अत: अब अद्योहस्ताक्षरी अनुरोध करता है कि इसके द्वारा पूर्वोक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/परमिट संबंधी पूर्ण विवरण इस आवेदन पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपने निजी हस्ताक्षरों से विधिवत प्रमाणित तथा कार्यालय मोहर सहित प्रलेखों की प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है ।

आवेदक

(पूरा नाम विवरण तथा पता दीजिए)

फार्म 'छ'

(नियम-8 एवं 20 देखिए)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण: दिल्ली के समक्ष

(..... द्वारा अध्यक्षता की गई।)

.....याचिकाकर्ता

बनाम

दावेदार का फोटोग्राफ

प्रतिवादी

महोदय,

निम्नलिखित सूचना एवं तथ्यों के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम,1988 के उपबन्धों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु अद्योहस्तक्षरी आवेदन करता है:—

भाग-1

1. चोटग्रस्त/हताहत/मृतक व्यक्ति के पिता जी का नाम (विवाहित महिला तथा विधवा के मामले में पति का नाम)
2. हताहत/मृतक व्यक्ति का पूरा पता
3. हताहत/ चोटग्रस्त/मृतक की आयु
4. चोटग्रस्त व्यक्ति /मृतक का व्यवसाय
5. चोटग्रस्त/मृतक के नियोक्ता का नाम एवं पता
6. चोटग्रस्त व्यक्ति/मृतक की मासिक आय
7. जिस व्यक्ति के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है : क्या वह आयकरदाता है? यदि हां, तो आयकर की राशि का उल्लेख कीजिए (दस्तावेज लगाए जाएं)

8. दुर्घटना का स्थल, समय एवं दिन/दिनांक

9. दुर्घटना का संक्षिप्त विवरण

10. जिस थाने के अन्तर्गत दुर्घटना हुई है या पंजीकृत की गई है, उसका नाम एवं पता

11. जिस व्यक्ति के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा किया गया था, क्या वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन में यात्र कर रहा था। यदि हां, तो यात्रा प्रारम्भ होने वाले स्थल एवं गन्तव्य स्थल का नाम तथा स्थान का उल्लेख करें।

12. लगी चोटों तथा विकलांगता का स्वरूप तथा यदि कोई हुई है।

13. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी का नाम एवं पता यदि कोई हो जिसने चोटों का उपचार किया।

14. उपचार की अवधि तथा व्यय, यदि कोई खर्च हुआ हो।

15. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की पंजीकरण संख्या

16. वाहन के स्वामी का नाम एवं पता

17. वाहन के चालक का नाम

18. वाहन के बीमाकर्ता का नाम एवं पता

19. क्या स्वामी/बीमाकर्ता द्वारा कोई दावा किया गया है यदि हां, तो उसका परिणाम

20. आवेदक का नाम एवं पता

21. मृतक/चोटग्रस्त व्यक्ति के साथ संबंध

22. मृतक/चोटग्रस्त की संपत्ति का हकदार

23. दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि एवं इसके आधार

24. क्या फॉर्म क एवं फॉर्म घ में कोई प्रतिवेदन पुलिस एवं पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त किया गया है यदि हां तो संलग्न कीजिए।

25. क्या नियम 8 के अनुसार आवेदन का शपथ पत्र एवं साक्ष्य संलग्न कीजिए (पूरा ब्यौरा दीजिए)

26. क्या नियम 8 में उल्लिखित दस्तावेज विधिवत संलग्न एवं सूचीकृत किए जा रहे हैं ब्यौरा दीजिए।

27. कोई अन्य जानकारी जो मामले के निपटान के लिए आवश्यक एवं सहायक हो सकती है।

भाग-2

यदि प्रार्थना पंच निर्णय के विषय में की गई है तो दायर कीजिए।

28. अन्तरिम पंच निर्णय के रूप में दावा की गई क्षतिपूर्ति राशि

29. अन्तरिम पंच निर्णय के दावे के कारण

30. क्या नियम 20 के उप-नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न हैं (ब्यौरा दीजिए)

31. प्रार्थना

सत्यापन

2008 के माह के ..... दिन ..... यह दिल्ली में सत्यापित किया गया कि उक्त आवेदन पत्र की विषयवस्तु मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

(याचिकाकर्ता)

फॉर्म 'ज'

(नियम 9 देखिए)

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण : दिल्ली के समक्ष

(..... द्वारा अध्यक्षता की गई।)

केस संख्या .....

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के अन्तर्गत दावा मामले के रूप में माना गया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अन्तर्गत पुलिस प्रतिवेदन के संबंध में।

सन्दर्भ एफ.आई.आर. संख्या .....

थाना .....

सेवा में,

(नाम, विवरण एवं निवास स्थान)

जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 158 (6) के अनुसार किसी मोटर वाहन के प्रयोग से संबंधित दुर्घटना संबंधी उक्त विवरण के अनुसार उसके द्वारा पंजीकृत एफ आई आर के संदर्भ में उक्त उल्लिखित थाने के थानाध्यक्ष से प्राप्त की गई है।

और जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रतिवेदन इस दावा न्यायाधिकरण द्वारा एक दावा मामला माना गया है, जिसमें दिनांक ..... को प्रातः 10.00 बजे मामले पर आगामी कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपका बुलाना आवश्यक समझा गया है।

अतः अब आपको इस दावा न्यायाधिकरण के समक्ष स्वयं या एक वकील द्वारा उपस्थिति होने के लिए इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है जो पूर्वोक्त तिथि एवं समय पर पूर्वोक्त दावा मामले से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विधिवत् नामांकित एवं सक्षम हैं।

और जबकि किसी दावे मामले की सुनवाई के लिए आपकी उपस्थिति के लिए तिथि सुनिश्चित की गई है। आपको किसी दावे मामले के पूरे विवरण देने के लिए किसी शपथ में उस तिथि को या इसे पहले प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, आपके द्वारा या के विरुद्ध कार्य के उसी कारण से संबंधित जो या तो प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा रहा है।

ध्यान दीजिए कि पूर्वोक्त तिथि और समय को आपकी उपस्थिति होने पर आपकी अनुपस्थिति में दावे मामले की सुनवाई एवं फैसला होगा।

2008 के माह ..... दिन ..... को यह इस न्यायाधिकरण की मोहर से और मेरे हस्ताक्षरों से दिया गया है।

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली

फार्म 'झ'

(नियम-13 देखिए)

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण : दिल्ली के समक्ष

मामला सं.

शीर्षक

बनाम

नोटिस

(नाम, वर्णन एवं निवास स्थान)

जबकि ..... ने किसी मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले में आपको प्रतिवादी..... के रूप में पक्ष प्रस्तुत करने के लिए लगाया गया है। (शपथ पत्र/दस्तावेजों सहित) आवेदन पत्र की प्रतियां संलग्न की गई हैं। जिसका मामला दिनांक ..... को प्रातः 10.00 बजे सुनवाई के लिए इस न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

अतः अब आपको इस न्यायाधिकरण के समक्ष स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होने का नोटिस दिया जाता है जो पूर्वोक्त तिथि और समय को पूर्वोक्त दावा मामले से संबंधी सभी वस्तुपरक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विधिवत नामांकित एवं सक्षम हो।

दावा मामलें की सुनवाई के लिए नियत तिथि को उपस्थित होकर उक्त तिथि को या पहले आप आवेदन पत्र में उठाए गए दावे से संबंधित लिखित बयान और इसके प्रमाण के लिए सभी प्रलेख और शपथ पत्र दे सकते हैं और उन सभी तथ्यों के पक्ष में शपथ पत्र भी लगाए जिनमें आप आवेदन पत्र संबंधी अपने बचाव के संदर्भ में निर्भर है, शपथ पत्रों और प्रलेखों की ठीक प्रकार से तैयार सूची में विधिवत् दर्ज करें। जहां इसके बाद किन्हीं और प्रलेखों और शपथ पत्रों पर निर्भर होना अनुमत नहीं होगा, दिल्ली मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण नियमावली के नियम 14 में उपबंधित के सिवाय।

ध्यान दीजिए कि पूर्वोक्त तिथि को आपकी उपस्थिति में चूक होने पर दावा मामले की सुनवाई होगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला होगा।

यह मेरे हस्ताक्षर इस न्यायाधिकरण की मोहर से 2008 के माह ..... दिन को दिया गया।

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली

फार्म 'ञ'

चिकित्सा जांच के लिए निदेश

.....

(नियम-18 देखिए)

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दिल्ली के समक्ष (..... द्वारा अध्यक्षता की गई।)

मामला संख्या .....

नाम ..... बनाम

दावेदार का फोटोग्राफ

सेवा में,

.....

.....

आदेश

जब कि क्षतिपूर्ति के भुगतान संबंधी मांग करने वाले उक्त वर्णित दावा याचिका मोटर वाहन के प्रयोग के परिणामस्वरूप हुई दुर्घटना के संबंध में इस न्यायाधिकरण में प्रस्तुत की गई है और दावेदार ..... सुपुत्र/पत्नी .... निवासी .... आयु .....

उसके नमूना हस्ताक्षर वाले/निशान अंगूठा वाले फोटोग्राफ उपर चिपकाया गया है और दुर्घटना के परिणामस्वरूप उसे तथाकथित चोटें आएं जो मेडिको लीगल प्रमाण पत्र

संख्या ..... दिनांक ..... को ..... (अस्पताल का नाम) में दर्ज की गई बताई गई है,

और जबकि दावा याचिका की जांच करने के प्रयोजनार्थ यह दावा न्यायाधिकरण अपंगता की मात्रा और विस्तार का पता लगाना आवश्यक समझता है, यदि दावेदार द्वारा उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोई प्रभावित हुआ है;

अतः अब दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा नियमावली, 2008 को नियम-17 के अनुसार इस दावा न्यायाधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता आपके अस्पताल में किसी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उक्त दावेदार की जांच करने के लिए और इस निदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस न्यायाधिकरण को उक्त पहलुओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आपको निदेश देता है।

मेरे नाम तथा इस न्यायाधिकरण की मोहर के अन्तर्गत 2008 के माह ..... दिन ..... दिया गया।

न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण

रा.रा. क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th July, 2009

No. F. 19 (125)/Tpt./Sectt./2007/375.—Whereas the draft of the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 2008 was published in Part-IV of the Delhi Gazette Extra ordinary *vide* F. 19 (125)/Tpt./Sectt./2007/597 dated 3rd September, 2008 as required by sub-section (1) of Section 212 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date on which copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd September, 2008 and whereas the objections and suggestions received on the said draft rules have been duly considered by the Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 176 read with clause (41) of Section 2 and sub-section (1) of Section 212 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in partial supersession of Chapter IX of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 relating to Claims Tribunals, made vide this Government's Notification No. F. 2(1)/93-Law dated the 21st June, 1993, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "Accident" means an accident involving use of motor vehicle at a public place;

(c) "Claims Tribunal" means a Motor Accidents Claims Tribunal constituted under Section 165 of the Act;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "insurance company" means the insurance company with which a motor vehicle involved in an accident was insured for the relevant period;

(f) "investigating police officer" means the station house officer of a police station within whose jurisdiction an accident involving a motor vehicle occurs, and includes any police officer subordinate to him entrusted with the investigation of the case;

(g) "legal representative" shall have the same meaning assigned to it under clause (11) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) All other words and expressions used herein but not defined and defined in Motor Vehicles Act, 1988, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Duties of investigating police officer in motor accident cases.—(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other rules in force, it shall be the duty of the investigating police officer, as expeditiously as possible to—

(a) get the scene of accident photographed from such angles as to clearly depict, and in case of inability to do so, prepare a site plan, drawn to scale, as to indicate the layout and width, etc. of the road(s) or place, as the case may be, the position of vehicle(s), or person(s), involved, and such other facts as may be relevant so as to preserve the evidence in this regard, inter-alia for purposes of proceedings before the Claims Tribunal;

(b) gather full particulars of the insurance certificate/ Ipolicy in respect of the motor vehicle involved in the accident and to require the production of documents mentioned in sub-section (1) of Section 158 of the Act, and thereupon either to take the same in possession against receipt, or to retain the photocopies of the same, after attestation thereof by the person producing the same;

(c) verify the genuineness of the documents mentioned in clause (b) by obtaining confirmation in writing from the office/authority purporting to have issued the same;

(d) submit detailed report regarding an accident to the Claim Tribunals, in Form "A" by not later than thirty days of the receipt of notice in Form "B", accompanied by requisite documents which shall include copy of report under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), medico legal certificate, post-mortem report (in case of death), first information report, photographs, site plan, photocopies of documents mentioned in clause (c), report regarding confirmation of genuineness thereof, if received, or otherwise action taken;

(e) furnish to the applicant information and particulars about the accident in Form "A" within

thirty days, on receiving the application in Form "C" by the person who wishes to make an application for compensation and who is involved in an accident, or his next of kin, or the legal representative of the deceased, or the insurance company, as the case may be :

Provided that such information shall be given to the insurance company on payment of a fees of rupees ten only per page;

(f) not to release and impound the vehicle involved in the accident, when it is found that it is not covered by policy of insurance of third party risks, taken in the name of the registered owner, or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy, and bring this to the notice of the Magistrate having jurisdiction over the area, where the accident occurred.

(g) report to the Magistrate mentioned in clause (f), as to why the registered owner has not been prosecuted for offence punishable under Section 196 of the Act, where such prosecution has not been preferred, despite existence of facts constituting such an offence.

(2) The duties enumerated in sub-rule (1) shall be construed as if they are included in Section 60 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) and any breach thereof shall entail consequences envisaged in that law.

4. Duties of the registering authority.— It shall be the duty of the concerned registering authority to—

(a) submit a detailed report in Form "D" to the Claims Tribunal regarding a motor vehicle involved in an accident or licence of the driver thereof within fifteen days of the receipt of direction in Form "E";

(b) furnish within fifteen days, the requisite information in Form "D" on receiving the application in Form "F", by the person who wishes to make an application for compensation or who is involved in an accident arising out of use or his next of kin, or to the legal representative of the deceased or to the insurance company, as the case may be :

Provided that information shall be given to the insurance company on payment of rupees ten only per page.

5. Duties of the insurance company:— It shall be the duty of the divisional manager of the insurance company, as expeditiously as possible, to—

(a) move an application in Form "C" before the investigating police officer with prescribed fees and gather full information about the accident, at the earliest, after receiving information about it, or on receipt of notice from the Claims Tribunals under rule 13;

(b) ascertain and verify facts about insurance of motor vehicle(s) involved in the accident and confirm the same to the Claims Tribunal within thirty days of receiving notice of the claim case;

(c) move application before the concerned registering authority in Form "F" and gather information about the motor vehicle(s) involved, and the driving licence(s) held by the driver(s) thereof as per details mentioned in Form "D";

(d) deposit with the written statement in the Claims Tribunal, the amount equivalent to the compensation, awardable on the principle of no fault liability under Section 140 of the Act in such cases where the information received in Form "A" and Form "D" confirms death or permanent disability to have been caused as a result of the use of the motor vehicle covered by the insurance certificate/policy issued by it.

6. Prohibition against release of motor vehicle involved in accident.—(1) No court shall release a motor vehicle involved in an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, when such vehicle is not covered by the policy of insurance against third party risks taken in the name of registered owner or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the satisfaction of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident.

(2) Where the motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third party risks, or when registered owner of the motor vehicle fails to furnish copy of such policy in circumstance mentioned in sub-rule (1), the motor vehicle shall be sold off in public auction by the magistrate having jurisdiction over the area where accident occurred, on expiry of three months of the vehicle being taken in possession by the investigating police officer, and proceeds thereof shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdiction over the area in question, within fifteen days for purpose of satisfying the compensation that may have been awarded, or may be awarded in a claim case arising out of such accident.

7. Presumption about reports.—The contents of reports submitted to the Claims Tribunal in Form "A" and Form "D" by investigating police officer and concerned registering authority respectively, and confirmation under clause (b) of rule 5 by the insurance company shall be presumed to be correct, and shall be read in evidence without formal proof, till proved to the contrary.

8. Applications.— (1) Every application for payment of compensation shall be made in Form "G" and shall be accompanied by as many copies, as may be required,

to the Claims Tribunal having jurisdiction to adjudicate upon it.

(2) There shall be appended to every such application :—

(a) an affidavit of the applicant to the effect that the statement of facts contained in the application is true to the best of his/her knowledge/belief, as the case may be, and further if the applicant(s) has/have earlier preferred any claim petition with regard to the same cause of action, and if so, what was the result thereof;

(b) all the documents and affidavits for the proof thereof, and affidavits in support of all facts on which the applicant relies in context of his/her claim, entered in a properly prepared list of documents and affidavits :

Provided that the Claims Tribunal may not allow the applicant to rely in support of his/her claim, on any document or affidavit not filed with the application, unless it is satisfied that for good or sufficient cause, he/she was prevented from filing such document or affidavit earlier;

(c) proof of identity of the applicant(s) to the satisfaction of the Claims Tribunal, unless exempted from doing so for reasons to be recorded in writing by it;

(d) passport size photograph(s) of the applicant(s) duly attested by the advocate on record;

(e) reports obtained in Form "C" and Form "D" from investigating police officer, and registering authority; and if no such report(s) have been obtained reasons therefor;

(f) medical certificate of injuries, or the effect thereof, other than those included in Form "C".

(3) The Claims Tribunal may also require the applicant to furnish the following information to satisfy itself that spurious or a collusive claim has not been preferred :—

(a) full particulars of all earlier accidents in which the applicant or the person deceased, as the case may be, has been involved;

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, name and particulars of the victim, and of the person who paid the damages; and

(c) connection of persons mentioned in clause (b), if any with the applicant.

(4) Any application which is found defective on scrutiny may be returned by the Claims Tribunal for being re-submitted after removing the defects within a specified period not exceeding two weeks.

(5) Every application for compensation shall be registered separately in appropriate register prescribed as per rule 26.

9. Police Reports under sub-section (6) of Section 158 of the Act and action thereon.— (1) The report in terms of sub-section (6) of Section 158 of the Act by the police shall *mutatis mutandis* be in Form "A".

(2) On receipt of report mentioned in sub-rule (1) , the Claims Tribunal shall go through the same and may call for such further information or material as considered necessary for proper and effective action in accordance with sub-section (4) of Section 166 of the Act.

(3) The Claims Tribunal after examination of the report, further information/material, if called for, shall register the claim case thereon and, then, issue notice for appearance to all parties concerned, which would include the victim(s) of the accident, or his/her legal representative(s), as the case may be, driver, owner and insurer of the vehicle(s) involved, in Form "H".

(4) On receipt of notice, the parties mentioned in the forgoing provision would be required to appear and declare through affidavit, if any claim case had either been preferred, or was being preferred in respect of the same cause of action, and if so, the police report treated as claim case would be tagged to such claim case preferred independently by the parties.

(5) If the person(s) injured, or legal representative(s) of the person(s) deceased do not appear in response to the notice aforementioned in the manner indicated above, the Claims Tribunal may presume that the said parties were not interested in pursuing the claim for any compensation in such proceedings, and on such presumption it shall close the case.

(6) Unless the police report treated as claim case stands tagged to independent claim case preferred by the parties themselves, the Claims Tribunal shall call upon the person(s) injured or legal representative(s) of the person(s) deceased, as the case may be, and who may have appeared in response to the notice, to submit statement of facts regarding compensation, if any claimed by them, which statement of facts shall be along the lines required to be furnished in application in Form "G".

(7) If statement of facts about compensation claimed and basis thereof are furnished by the parties in the manner indicated in sub-rule (6), the case shall be further proceeded with in the same manner as required to deal with applications moved by the parties for compensation directly before the Claims Tribunal.

(8) If after statement of facts about compensation claimed has been furnished by the party, which subsequently commits default in appearance, the provisions of Order IX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) would apply :

Provided that in case accident in question involves ore than one vehicle and persons connected to all such hicles stake claim for compensation, the police report ated as claim case shall be presumed to be a claim case eferred by each of them and absence by anyone or more such parties shall not prejudice or affect the claim of the rty which continues to appear.

10. Examination of applicant.—On receipt of an plication under rule 8, the Claims Tribunal may examine e applicant on oath, and the substance of such amination, if any, shall be reduced to writing.

11. Summary disposal of application.—The Claims ribunal may, after consideration of the application and tatement, if any, of the applicant recorded under Rule 10, ismiss the application summarily, if for reasons to be ecorded, it is of the opinion that there are no sufficient rounds for proceeding therewith.

12. Transfer of claim cases.—(1) The District Judge hall have the power to transfer an application for claim rom the file of one Claims Tribunal, before whom the pplication is pending, to any other Claims Tribunal, if—

(a) the Claims Tribunal before whom the application is pending makes such a request on grounds, personal or otherwise; or

(b) upon consideration of the application for transfer by any party to the application, the District Judge is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds to do so.

(2) The High Court may transfer the application from the file of one Claims Tribunal to the other Claims Tribunal for any sufficient reasons.

13. Notice to parties involved.—If the application for claim is not dismissed under rule 11, the Claims Tribunal shall send to the opposite parties a copy of the application along with all the documents and affidavits filed by applicant under rule 8 together with a notice in Form "I" of the date on which it will hear the application, and may call them upon to file on that date a written statement as per Rule 14 in answer to the application:

Provided that, if documents filed by the applicant are voluminous, and insistence on providing copies thereof would be unnecessarily expensive or cumbersome, the Claims Tribunal may dispense with the requirement to send copies thereof to the opposite parties.

14. Appearance and examination of the parties.—(1) The person against whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as 'opposite party') shall at or before the first hearing, or within such further time as the Claims Tribunal may allow, file a written statement dealing with the claim raised in the application, and any such written statement shall form part of the record.

(2) The opposite party shall file with his written statement, all the documents and affidavits for the proof thereof and also affidavits in support of all facts on which he relies in context of his defence of the application, duly entered in a properly prepared list of documents and affidavits and shall give to the applicant copies of the written statement, documents and affidavits, provided that the Claims Tribunal may not allow the opposite party to rely in support of his defence on any document or affidavit not filed along with the written statement unless it is satisfied that, for good or sufficient cause, he was prevented from filing such document or affidavit earlier.

(3) If the opposite party contests the claim, the Claims Tribunal may, and if no written statement has been filed, it shall, proceed to examine him upon the claim and shall reduce the substance of the examination to writing.

(4) The Claims Tribunal may also require the opposite parties to furnish the following information :—

(a) full particulars of all earlier accidents in which such party may have been involved, and in which the claims have been awarded at least in part.

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, the name(s) and address(es) of the victims and of the persons who paid the damages; and

(c) relation of persons mentioned in clause (b), if any, with the opposite party.

15. Local Inspection.—(1) The Claims Tribunal may, at any time during the course of a proceeding before it, visit the site at which the accident occurred for the purpose of making local inspection or examining any persons likely to be able to give information relevant to the proceedings.

(2) Any party to a proceeding or representative of any such party, may accompany the Claims Tribunal for a local inspection.

(3) The Claims Tribunal after making a local inspection shall note briefly in a memorandum any facts observed, and such memorandum shall form part of the record of proceeding.

(4) The memorandum referred to in sub-rule (3) may be shown to any party to the proceedings who desires to see it and a copy thereof may, on application, be supplied to any such party.

(5) The Claims Tribunal may, if any journey is undertaken for the purpose specified in this rule at the instance of a party, require the party, to deposit beforehand an amount equivalent to the actual expenses likely to be incurred by it and its staff for the purpose, and draw only the amount so deposited by the parties to meet all the incidental expenditure in connection with such journey.

16. Inspection of the vehicle.—The Claims Tribunal may, if it thinks fit, require the motor vehicle involved in the accident to be produced by the owner for inspection at a particular time and place to be mentioned by it, in consultation with the owner.

17. Power of summary examination.—The Claims Tribunal during the local inspection or at any other time at a formal hearing of a case pending before, it may, examine summarily any person likely to be able to give information relating to such case, whether such person has been or is to be called as a witness in the case or not and whether any or all of the parties are present or not.

18. Power to direct medical examination.—The Claims Tribunal may, if it considers necessary, direct, in Form "J", any medical officer or any board of medical officers in a government or municipal hospital to examine the injured and issue certificate indicating the degree and extent of the disability, if any, suffered as a result of the accident, and it shall be the duty of such medical officer or board to submit the report within fifteen days of receipt of direction.

19. Co-opting of persons during inquiry.—(1) The Claims Tribunal may if it thinks fit, co-opt one or more persons possessing special knowledge with respect to any matter relevant to the inquiry, to assist in holding the inquiry.

(2) The remuneration, if any, to be paid to the person(s) co-opted shall in every case be determined by the Claims Tribunal.

20. Application for claim on principle of no fault liability.—(1) Every application in case of claim under Chapter X of the Act, shall be made in part II of Form "G"

(2) The Claims Tribunal shall, for the purpose of adjudication of the application mentioned in this rule shall follow such summary procedure as it thinks fit.

(3) The Claims Tribunal shall not reject any application made as per the provisions of Chapter X of the Act on ground of any technical flaw, but shall give notice to the applicant and get the defect rectified.

(4) Where the application is not accompanied by reports in Form "A" and Form "D", the Claims Tribunal shall obtain whatever information is necessary from the police, medical and other authorities and proceed to adjudicate upon the claim whether the parties who were given notice appear or not on the appointed date.

(5) The Claims Tribunal shall expeditiously proceed to award the claims on the basis of reports in Form "A" and Form "D" and further documents relating to injuries or treatment, if any filed with affidavit, and report or certificate, if any, issued in compliance with directions under rule 18.

(6) The Claims Tribunal in passing an award on such application, shall also issue directions for apportionment, if required and for securing the interests of the claimants, following the provisions of rules 26 and 27.

21. Framing of issues.—After considering the application, the written statements, the examination of the parties, if any, and the result of any local inspection, if made, the Claims Tribunal shall proceed to frame and record the issues upon which the decision of the case appears to it to depend.

22. Determination of issues.—(1) After framing the issues the Claims Tribunal shall proceed to decide them after allowing both parties to cross examine each other and the deponents, whose affidavits have been filed by the parties, on such affidavits filed with the application and the written statement and in doing so, it shall follow provision of Order XIX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) The Claims Tribunal may, if it appears to it to be necessary for just decision of the case, allow the parties to adduce such further evidence as each of them may desire to produce :

Provided that no such further opportunity shall be permitted unless it is shown that the affidavit of the witness sought to be examined at such stage could not be obtained and filed earlier, despite exercise of due diligence by, or that such evidence was not within the knowledge of the party relying on it.

23. Summoning of witnesses.—Subject to the provisions of rule 22, if an application is presented by any party to the proceeding for the summoning of witnesses, the Claims Tribunal shall, on payment of the expenses involved, if any, issue summons for the appearance of such witness unless it considers that their appearance is not necessary for a just decision of the case :

Provided that if, in the opinion of the Claims Tribunals, the party is financially poor, it may not insist on the payment of the expenses involved and the same shall be borne by the Government :

Provided further that in case where the party succeeds in whole or in part, the expenses so incurred by the Government shall be directed to be paid to the Government by the opposite party.

24. Method of recording evidence.—The Claims Tribunals shall, as examination of witnesses proceeds, make brief memorandum of the substance of the evidence of each witness and such memorandum shall be written and signed by the Presiding Judge of the Claims Tribunal and shall form part of the evidence :

Provided that evidence of any expert witness shall be taken down, as nearly as may be, word for word.

25. Obtaining of supplementary information and documents.—The Claims Tribunal shall obtain whatever supplementary information and documents, which may be

found necessary from the police, medical and other authorities and proceed to adjudicate upon the claim whether the parties who were given notice appear or not on the appointed date.

26. Judgment and award of compensation.—(1) The Claims Tribunal in passing orders shall record concisely in a judgment, the findings on each of the issues framed and the reasons for such findings and make an award specifying the amount of compensation to be paid by the opposite party or parties and also the person or persons to whom compensation shall be paid.

(2) The procedure of adjudicating the liability and award of compensation may be set apart from the procedure of disbursement of compensation to the legal heirs in a case of death, and where the Claims Tribunal feels that the actual payment to the claimant is likely to take some time because of the identification and determination of legal heirs of the deceased, the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded to be deposited with it, and, then, proceed with the identification of the legal heirs for disbursing payment of compensation to each of the legal heirs equitably.

27. Securing the interest of claimants.—(1) Where any lump-sum amount deposited with the Claims Tribunal is payable to a woman or a person under legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of the woman or such person during this disability in such manner as the Claims Tribunal may direct to be paid to any dependent of the injured or heirs of the deceased or to any other person whom the Claims Tribunal thinks best fitted to provide for the welfare of the injured or the heir of the deceased.

(2) Where on application made to the Claims Tribunal in this behalf or otherwise, the Claims Tribunal is satisfied that on account of neglect of the children on the part of the parents, or on account of the variation of the circumstances of any dependent, or for any other sufficient cause, an order of the Claims Tribunal as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the Claims Tribunal may make such further orders for the variation of the former order as it thinks just in the circumstances of the case.

(3) The Claims Tribunal shall, in the case of minor, order that amount of compensation awarded to such minor be invested in fixed deposits till such minor attains majority. The expenses incurred by the guardian or the next friend may be allowed to be withdrawn by such guardian or the next friend from such deposits before it is deposited.

(4) The Claims Tribunal shall, in the case of illiterate claimants, order that the amount of compensation awarded be invested in fixed deposits for a minimum period of three years, but if any amount is required for effecting purchase of any moveable or immoveable property for improving the income of the claimant, the Claims Tribunal may consider such a request after being satisfied that the amount would be actually spent for the purpose and the demand is not a ruse to withdraw money.

(5) The Claims Tribunal shall, in the case of semi-literate person resort to the procedure for the deposit of award amounts set out in sub-rule (4) unless it is satisfied, for reasons to be recorded in writing that the whole or part of the amount is required for the expansion of any existing business or for the purchase of some property as specified and mentioned, in sub-rule (4) in which case the Claims Tribunal shall ensure that the amount is invested for the purpose for which it is prayed for and paid.

(6) The Claims Tribunal may in the case of literate persons also resort to the procedure for deposit of awarded amount specified in sub-rule (4) and (5) if having regard to the age, fiscal background and state of society to which the claimant belongs and such other consideration, the Claims Tribunal in the larger interest of the claimant and with a view to ensuring the safety of the compensation awarded, thinks it necessary to order.

(7) The Claims Tribunal, may in personal injury cases, if further treatment is necessary, on being satisfied which shall be recorded in writing, permit the withdrawal of such amount as is necessary for the expenses of such treatment.

(8) The Claims Tribunal shall, in the matter of investment of money, have regard to a maximum return by ways of periodical income to the claimant and make it deposited with public sector undertakings of the State or Central Government which offers higher rate of interest.

(9) The Claims Tribunal shall, in investing money, direct that the interest on the deposits be paid directly to the claimants or the guardian of the minor claimants by the institutions holding the deposits under intimation to the Claims Tribunal.

28. Appearance of legal practitioner.—The Claims Tribunal may, in its discretion, allow any party to appear before it through a legal practioner.

29. Adjournment of hearing.—If the Claims Tribunal finds that an application cannot be disposed of at one hearing, it shall record the reasons which necessitate the adjournment and also inform the parties present of the date of adjourned hearing.

30. Diary.—The Claims Tribunal shall, maintain a brief diary of the proceedings on the application.

31. Enforcement of award of the Claims Tribunal.—Subject to the provisions of section 174 of the Act, the Claims Tribunal shall, for the purpose of enforcement of its award, have all the powers of a Civil Court in the execution of a decree under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), as if the award where a decree for the payment of money passed by such court in a civil suit.

32. Vesting of powers of Civil Court in the Claims Tribunal.—Without prejudice to the provisions of section 169 of the Act every Claims Tribunal shall exercise all the powers of a Civil Court, and in doing so for discharging its functions it shall follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

33. Receipt of compensation paid upon payment.—The Claims Tribunal shall, obtain a receipt from the claimant in duplicate, one copy to be issued to the person who makes the payment and the other to be retained on the record while handing over the payment.

34. Appeal against the judgment of the Claims Tribunal.—(1) Every appeal against the judgment of the Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum signed by the applicant or the advocate duly empowered by him in this behalf, and presented to the High Court and shall be accompanied by a copy of the judgment.

(2) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads, the grounds of objections to the judgment appealed from without any argument or narrative, and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Save as provided in sub-rules (1) and (2), the provisions of Order XLI XXI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) shall mutatis mutandis apply to appeals preferred to High Court under section 173 of the Act.

35. Certified copies.—The rules relating to the issue of certified copy as in force in Delhi for the courts subordinate to the High court shall mutatis mutandis apply in the case of the Claims Tribunal.

36. Registers.—(1) The Claims Tribunal shall maintain in addition to all registers required to be maintained by a court of Additional District Judge in Delhi, the following registers:—

(i) Register for applications for interim award on principle of no fault liability;

(ii) Register for deposit of payments in the Tribunal through cheques, etc.

(2) Claim petitions on the ground of death, permanent disability, injury and damage to property shall be entered in a separate register.

37. Custody and preservation of the records.—The necessary documents and records relating to the cases shall be preserved in the record room for a period of six years of the satisfaction of the award, if any granted, or for a period of twelve years after the judgment and award become final, whichever is earlier.

38. Staff.—Every Claims Tribunal shall be provided with staff similar to that provided to the court of an Additional District Judge in Delhi.

39. Repeal and Savings.—(1) Chapter IX of the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the said rules so repealed shall, unless such thing or action is inconsistent with any of the provisions of these rules, in a proceeding for compensation pending before the Claims Tribunal, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM "A"

(See rules 3, 5 and 7)

Report of Investigating Police Officer

To

.....

.....

.....

Sir,

This is with reference to the order/application dated.....in Case No.---------Title.....

The requisite information is given below:—

1. Name of Police Station:
2. Cr. No./Traffic Accident Report:

   Report/FIR No.

   (Copy to be annexed)
3. Date, time and place of the accident:
4. Name and full address of the injured/deceased:
5. Name of the hospital to which he/she was removed:

   (Copy of X-ray Report./MLC/Post Mortem Report to be annexed.)
6. Registration number of vehicle and type of the vehicle:

   (copy to be annexed)
7. Driving license particulars: (Copy to be annexed)

   (a) Driving license No. and Date of expiry

   (b) Name and address of the driver:

   (c) Address of the issuing Authority:

   (d) Badge No. (in case of Public Service Vehicle):
8. Name and address of the owner of the vehicle at the time of the accident:
9. Name and address of the Insurance Company with whom the vehicle was insured and the particulars of the Divisional Office of the said Insurance Company:

   (Copy of Cover Note/Certificate of Insurance/ Policy/Receipt to be annexed)

10. Number of Insurance Policy/Insurance Certificate and the date of validity of the Insurance Policy/ Insurance Certificate:

11. Registration particulars of the vehicle (Class of the Vehicle)

(a) Registration No. :

(b) Engine No. :

(c) Chassis No. :

12. Route Permit particulars (copy to be annexed)

13. Report about verification of Driving License, Insurance Policy, Registration Certificate permit etc. (copy of the documents to be annexed)

14. Action taken, if any and the result thereof (Copy of Report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973/Kalandara presented to be annexed)

Encl: (give details)

(Station House Officer)

P. S----------

Verified that the contents of above report are correct as per Investigaion done by the Police Station.

P. S. ----------

Station House Officer

Date:

FORM "B"

(See rule 3)

Order to Investigating Police Officer

BEFORE THE MOTOR ACCIDENTS CLAIMS TRIBUNAL: DELHI

(Presided by : .....)

Case No. :

TITLE : .....Vs. .....

Subject: F. I. R. No. .....

To,

Station House Officer,

P.S. .....

.....

ORDER

Whereas the claim petition above mentioned seeking payment of compensation has been preferred in this Tribunal in connection with the accident which is stated to be subject matter of investigation by you through FIR particulars captioned above;

And whereas the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provisions of Section 160 of the Motor Vehicle Act, 1988 and to this Tribunal under the provisions of sub-section (6) of Section 158 of the said Act read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 3 of the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 2008, document in the nature of—

(1) Identification marks and other particulars of the vehicle which caused the accident ;

(2) Name and address of the person who was driving/ using the same at the time of accident ;

(3) Name and address of the person who was injured, or description of property damage ;

(4) Copy of FIR ;

(5) Report under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 with documents annexed thereto *viz.*, report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving licence, registration certificate, permit, insurance policy, verification, if any, etc.;

(6) Any other relevant document seized ;

Now, therefore, you are hereby directed to send to this Tribunal information in Form "A" (attached) with clear legible photocopies of all the aforesaid documents duly attested under your personal signatures and bearing your official seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and Seal, this .....day of.....

JUDGE
MACT/DELHI

FORM "C"

(See rules 3 and 5)

Application to Investigating Police Officer

Case No. :

TITLE : .....Vs.....

Subject : F.I.R. No.----------

To,

Station House Officer,

P.S.----------

Sir,

Whereas the applicant is a party, being the claimant/ insurance company, in the claim petition above mentioned seeking payment of compensation in connection with the accident which is stated to be subject matter of Investigation through FIR particulars captioned above;

And whereas, the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provisions of Section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 3 of the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 2008, documents in the nature of—

(1) Identification marks and other particulars of the vehicle which caused the accident ;

(2) Name and address of the person who was driving/using the same at the time of accident ;

(3) Name and address of the person who was injured, or description of property damage ;

(4) Copy of FIR ;

(5) Report under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 with documents annexed thereto *viz.*, report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving licence, registration certificate, permit, insurance policy, verification, if any, etc.;

(6) Any other relevant document seized ;

The undersigned, therefore, requests that the requisite information may kindly be furnished to him within fifteen days of the receipt of this communication.

Yours faithfully,

( )

Full Name and address

Dated :

FORM "D"

(See rules 4, 5 and 7)

Report of the Registering Authority

To,

Sir,

This is with reference to the order/application dated.....in Case No..... Title..... The requisite information is given below :—

1. Registration particulars of the vehicle:
   (a) Registration No. :
   (b) Type of vehicle :
   (c) Make and model :
   (d) Engine No. :
   (e) Chassis No. :
   (f) Full name and address of the registered owner of the vehicle :
   (g) Particulars of insurance :
2. Driving Licence:
   (a) Driving License No. and date of issue/expiry:
   (b) Name and address of license holder :
   (c) Particulars of issuing Authority :
   (d) Badge No. in case of public service vehicle :
   (e) Detailed report if the particulars mentioned are found not genuine :
3. Route permit:
   (a) Permit No. and date :
   (b) Name and address of permit holder :
   (c) Conditions of permit :

(Registering Authority)

.....Zone

Verified that the contents of above report are correct as per records of this office.

(Registering Authority)

.....Zone

Date :

FORM "E"

(See rule 4)

Order to Registering Authority

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL: DELHI

(Presided :.....)

Case No. :

TITLE .....Vs.....

Subject : (i) Verification of Registration Certificate of Vehicle No. .....

a. Verification of Driving Licence No. ..... in respect of.....valid up to.....issued by.....

Licensing Authority.....

(Strike out whichever is not applicable)

To,

(Registering Authority)

.....Zone

ORDER

Whereas the claim petition mentioned above seeking payment of compensation has been preferred in this Tribunal in connection with an accident allegedly involving Motor Vehicle, particulars of which are captioned above;

And whereas (1) the vehicle is stated to have been registered by office under your control, (2) the driving

licence/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control (Strike out whichever is not applicable);

And whereas the records relating to the said registration/driving licence/permit are required to be maintained by said officer under your control under the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

And whereas requisite details relating to the documents aforesaid are required by this Tribunal for the purposes of Inquiry under the provisions of Section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988 and which information you are bound to furnish in terms of rule 149 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with rule 5 of the Delhi Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 2008.

Now, therefore, you are hereby directed to furnish to this Tribunal full particulars regarding the registration certificate/driving licence/permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested under your personal signatures and bearing your official Seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and seal, this.....day of.....

JUDGE

MACT/DELHI

FORM "F"

(See rule 4)

Application to Registering Authority

Case No. .....

TITLE : .....Vs.....

To,

The Registering Authority,

.....,

.....,

Subject:

(1) Vehicle No. .....

(2) Permit No. .....

(3) Driving Licence No. .....

In respect of .....

Whereas the undersigned has preferred/is a party in, the claim petition mentioned above seeking payment of compensation in connection with an accident allegedly involving Motor Vehicle, particulars of which are captioned above;

And whereas (1) the vehicle aforesaid is stated to

driving licence/permit aforesaid is stated to have be issued by office under your control (Strike out whichever is not applicable);

And whereas the records relating to the said registration/driving licence/permit are required to be maintained by said officer under your control under the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

And whereas requisite details relating to the documents aforesaid are required by this Tribunal for the purposes of Inquiry under the provisions of Section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988 and which information you are bound to furnish in terms of rule 149 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 read with rule 5 of the Delhi Motor Accident Claims Tribunal Rules, 2008.

Now, therefore, the undersigned, requests that full particulars regarding the registration certificate/driving licence/ permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested under your personal signatures and bearing your official seal may be furnished within fifteen days of the receipt of this application.

(Applicant)

(Full name, particulars and address to be given)

FORM "G"

(See rule 8 and 20)

Application for grant of compensation under the Motor Vehicles Act, 1988

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL : DELHI

(Presided by.....)

.....Petitioner

Vs.

.....Respondents

Sir,

The undersigned makes this application for grant of compensation as per the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 on the basis of the following facts and information:—

PART-I

1. Name and Father's name of the person injured/ dead

   (Husband's name in the case of married woman and widow) :

2. Full address of the person injured/dead :

4. Occupation of the person injured/dead :

5. Name and address of the employer of the injured/dead :

6. Monthly income of the person injured/dead :

7. Does the person in respect of whom compensation is claimed :

pay income tax? If so, state the amount of the income tax (to be supported by documents) :

8. Place, date and time of accident :

9. Brief particulars of the accident :

10. Name and address of police station in whose jurisdiction the accident tool place or was registered :

11. Was the person in respect of whom compensation is claimed traveling by the vehicle involved in the accident? If so, give the name and place of starting the journey and destination :

12. Nature of injuries sustained and disablement, if any, caused :

13. Name and address of the Medical Officer/ Practitioner if any, who attended on the injuries:

14. Period of treatment and expenditure, if any incurred :

15. Registration No. and type of vehicle involved in the accident :

16. Name and address of the owner of the vehicle :

17. Name of the driver of the vehicle :

18. Name and address of the insurer of the vehicle :

19. Has any claim been lodged with the owner/ Insurer if so, with what result :

20. Name and address of the applicant :

21. Relationship with the deceased/injured :

22. Title of the property of the deceased/injured:

23. Amount of compensation claimed and basis thereof:

24. Whether reports from the police and the Registering Authority Have been obtained in Form "A" and Form "D"? (If so, to be annexed):

25. Whether affidavit of the Applicant and witnessed as per rule 8 are annexed (give details):

26. Whether documents mentioned in Rule 8 are being annexed duly indexed (give details):

27. Any other information that may be necessary and helpful in the disposal of the case:

PART-II

(To be filed if prayer is made for interim award)

28. Amount of compensation claimed as interim award.

29. Reasons for claim of interim award.

30. Whether documents mentioned in sub-rule (4) and sub-rule(5) of rule 20 have been annexed (give details)

31. Prayer

(Petitioner)

Verification

Verified at Delhi this.....................................day of............................200.........., that the contents of the above application are true and correct to my knowledge and belief.

(Petitioner)

FORM "H"

(See rule 9)

Photograph of Claimant

Before the Motor Accident Claims Tribunal : Delhi

(Presided by :..)

Case No...

NOTICE

In RE: Police Report under section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 treated as Claim case under section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988.

Reference FIR No...of

P. S...

To,

(Name, Description and Place of Residence)

Whereas a report under section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 has been received from Station House Officer of Police Station mentioned above with reference to FIR registered by him as per particulars given above regarding as accident involving use of a motor vehicle;

And, whereas, the report afore mentioned has been treated by this Claims Tribunal as a claim case in accordance with the Provisions of section 166(4) of the Motor Vehicle

Act, 1988, in which it appears necessary to call you upon to appear before the undersigned for further proceedings in the matter at 10.00 AM on.....

Now, therefore, you are hereby given notice to appear before this Claims Tribunal in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case aforesaid on aforesaid date and time.

And as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim a case, you would be required to file on or before that date an affidavit disclosing full particulars of a claim case which may have either been preferred or being preferred in respect of the same cause of action by or against you.

Take notice that in default of your appearance on the date and time aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this.....day of

JUDGE

MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL,
DELHI

FORM "I"

(See rule 13)

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL: DELHI

Case No.....

Title.....
..... Vs. .....

NOTICE

To,

(name, description and place of residence)

Whereas .....has instituted a Motor Accident Claim Case impleading you as Respondent..... .....Copies of the application along with affidavit/ documents filed enclosed), which case has been directed to be listed before this Tribunal for hearing at 10.00 AM on.....

Now, therefore, you are hereby given notice to appear this Tribunal in person by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case aforesaid on aforesaid date and time.

And as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim case you may file on or before that date written statement dealing with the claim raised in the application, along with all the documents and affidavits for the proof thereof and also affidavits in support of all facts on which you rely in the context of your defence of the application, duly entered in a properly prepared list of documents and affidavits, where after it shall not be permissible to rely on any further documents or affidavits except as provided in rule 14 of the Delhi Motor Vehicles Accident Claims Tribunal Rules, 2008.

Take notice that in default of your appearance on the date aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal, this.....day of

JUDGE

MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL,
DELHI

FORM "J"

Direction for Medical Examination

(See rule 18)

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL: DELHI

(Presided by.....)

Case No.....

Title.....
..... Vs. .....

To,

.....
.....
.....

Photograph of Claimant

ORDER

Whereas the claim petition above mentioned seeking payment of compensation has been preferred in this Tribunal in connection with an accident involving use of Motor Vehicle, and the claimant .....S/o, D/o, W/o.....

Aged.....r/o.....
.....

whose photograph bearing his specimen signature/thumb impression is affixed above, is alleged to have suffered injuries as a result of the said accident, which are stated to have been recorded in Medico Legal Certificate No.....dated..... .....in..... .....(name of hospital),.....;

And whereas for the purpose of inquiry into the claim petition, this claim Tribunal considers it necessary to ascertain the degree and extent of disability, if any suffered as a result of the said accident by the said claimant;

Now, therefore, in exercise of powers vesting in this claims Tribunal, in terms of rule 17 of the Delhi Motor Accident Claims Tribunals Rules, 2008, the undersigned directs you to get the said claimant examined by a Medical Officer/Board of Medical officers in you Hospital and submit report on above aspects to this Tribunal within 15 days of the receipt of this direction.

Given under my name and seal of this Tribunal, this.....day of .....

JUDGE

MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL,
DELHI

By Order and in the Name of the
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

R. K. VERMA, Secy.-cum-Commissioner